



दंत चिकित्सकों के लिए 13 लाख तक सुरक्षा कवर

एमपी राज्य दंत परिषद शुरू करेगी दो योजनाएं, डिजिटल पंजीयन पोर्टल भी होगा लॉन्च

भोपाल (नप्र)। प्रदेश के दंत चिकित्सकों की सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद दो नई योजनाएं शुरू करने जा रही है। परिषद की ओर से ‘कर्मयोगी जीवन सुरक्षा योजना’ और ‘सुश्रुत सुरक्षा योजना’ की शुरुआत 19 अगस्त को भोपाल में होगी। इसके साथ ही दंत चिकित्सकों के लिए नया डिजिटल पंजीयन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा।

कार्यक्रम 19 अगस्त को दोपहर 12 बजे कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, भोपाल में आयोजित होगा। इसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि

मेडिको-लीगल मामलों के लिए 10 लाख तक कवर
दंत चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ते मेडिको-लीगल मामलों और व्यावसायिक जोखिमों को देखते हुए ‘सुश्रुत सुरक्षा योजना’ शुरू की जाएगी। इसके तहत दंत चिकित्सकों को 10 लाख रुपए तक का प्रोफेशनल इंडेमनिटी कवर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया गया है। कार्यक्रम में मेडिको-लीगल मामलों पर चर्चा भी होगी। इसके लिए विशिष्ट अतिथि संजय कुमार पुलिस आयुक्त भी मौजूद रहेंगे।

के रूप में शामिल होंगे। सांसद और दंत चिकित्सक डॉ. राजेश मिश्रा तथा राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, नई दिल्ली की दंत पंजीयन बोर्ड की पूर्णकालिक सदस्य डॉ. उषा हेगड़े भी मौजूद रहेंगी।

दुर्घटना और दिव्यांगता में 3 लाख तक बीमा- परिषद के अनुसार ‘कर्मयोगी जीवन सुरक्षा योजना’ के तहत

प्रदेश में पंजीकृत दंत चिकित्सकों को 3 लाख रुपए तक का दुर्घटना एवं दिव्यांगता बीमा कवर उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य आकस्मिक परिस्थितियों में चिकित्सकों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देना है।

देश में पहली ऐसी पहल- मध्य प्रदेश राज्य दंत परिषद के अध्यक्ष डॉ.

चंद्रेश शुक्ला और रजिस्ट्रार डॉ. हर्ष चंसेरिया ने बताया कि देश में दंत चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर इस तरह का कार्यक्रम पहली बार आयोजित किया जा रहा है। उनका कहना है कि इन योजनाओं के माध्यम से मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है।

कार्यक्रम में प्रदेश के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, दंत चिकित्सा विशेषज्ञ, विभिन्न डेंटल कॉलेजों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में दंत चिकित्सक शामिल होंगे। परिषद का नया डिजिटल पंजीयन पोर्टल दंत चिकित्सकों की पंजीयन संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।

संक्षिप्त

समाचार

100 दिन पूरे होने से पहले शुभेंदु सरकार की परीक्षा!

अन्नपूर्णा योजना, बांग्लादेश सीमा पर बाड़ के लिए दी जमीन

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार 100 दिन पूरे करने वाली है। चुनाव में किए गए वादे के मुताबिक, नई राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा योजना भी शुरू की है।



वादे के अनुसार, महिलाओं को इस योजना के तहत अब 3,000 रुपये मिल रहे हैं। जो पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय लक्ष्मी भंडार योजना के तहत मिलने वाले 1500 रुपये से दोगुनी रकम है। साथ ही राज्य में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने जैसा अहम कदम भी उठाया है।

राहुल-सोनिया पर वंदे मातरम् के अपमान का लगाया आरोप

- जांच शुरू, दावा-राहुल ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया था

बेंगलुरु (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस ने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ वंदे मातरम के अपमान से जुड़े मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत 16 अगस्त को एस्टेट थाने में एक वकील ने दी थी। इसमें दोनों नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि वंदे मातरम के शुरुआती हिस्से के बाद सोनिया गांधी ने कुछ इशारे किए, जिन्हें गाना जारी रखने पर आपत्ति के तौर पर देखा गया। शिकायत में एक वीडियो का भी जिक्र है। इसमें राहुल गांधी के कथित तौर पर ‘हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे’ कहने का दावा किया गया है।

बैंकिंग सुधारों के लिए जल्द बनेगी हाई-लेवल कमेटी

- वित्त मंत्री ने कहा-बैंकों का एनपीए सबसे निचले स्तर पर

नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार जल्द ही बैंकिंग सेक्टर में सुधारों के लिए अपनी हाई-लेवल कमेटी का ऐलान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय पीएसबी कॉन्फ्लुएंस 2026 के पहले दिन यह घोषणा की। वित्त मंत्रालय के एक सूत्र के मुताबिक, इस कमेटी का गठन इसी महीने किया जा सकता है। इस हाई-लेवल कमेटी को गठित करने का प्रस्ताव सबसे पहले केंद्रीय बजट 2026-27 में रखा गया था। वित्त मंत्री सीतारमण ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर हाई-लेवल कमेटी बनाने के प्लान का ऐलान किया था। इसका मुख्य मकसद बैंकिंग सेक्टर को देश के आर्थिक विकास के लक्ष्यों के अनुरूप ढालना और समीक्षा करना है।

अजनबियों को नहीं दी जा सकती है एसआईटी रिपोर्ट

- राममंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में बोले एसजी

अयोध्या (एजेंसी)। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सोमवार दोपहर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि उन्हें भी जांच से जुड़ी रिपोर्ट दी जानी चाहिए, ताकि वे अदालत की मदद कर सकें। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- जांच रिपोर्ट ऐसे लोगों को नहीं दी जा सकती, जो मामले से सीधे जुड़े नहीं हैं। इस पर वकील



ने कहा- हम अजनबी नहीं हैं। यह याचिका भारत की जनता की ओर से दायर की गई है। उन्होंने कहा- हमें सच जानने का मौलिक अधिकार है। अगर जांच से जुड़ी जानकारी किसी आरोपी या जांच में मदद कर रहे व्यक्ति को दे दी गई और याचिकाकर्ताओं को इससे दूर रखा गया, तो वे अदालत की सहायता करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा- एसआईटी का गठन हमने किया है। यह अदालत के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी है। इसे अपनी रिपोर्ट हमें ही सौंपनी होगी।

मुख्यमंत्री आज भोपाल में श्री गुरु रविदास समरसता संकल्प अभियान एवं कलश यात्रा का करेंगे शुभारंभ

संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर होगा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती पर खीनद भवन, भोपाल में पूर्वाह्न 11 बजे से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश व्यापी समरसता संकल्प अभियान एवं कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए यावन कलश रवाना किए जाएंगे। संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जयंती के अवसर पर प्रदेश में उनके जीवन-दर्शन और

समता, भक्ति, सेवा, सामाजिक न्याय एवं मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य व्यापी समरसता संकल्प अभियान एवं यात्रा का आयोजन 18 अगस्त से किया जायेगा। अभियान के अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से प्रदेश, जिला एवं ग्राम स्तर पर विभिन्न सामाजिक,

सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। **प्रत्येक जिले में होगी कलश रथ यात्रा-** अभियान अंतर्गत समस्त जिला मुख्यालयों पर 20 अगस्त, 2026 को कलश वंदन एवं सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद पावन कलश को कलश रथ में स्थानीय रविदास मंदिर एवं ग्राम स्तर तक ले जाया जाएगा। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 20 अगस्त से 10 सितम्बर 2026 तक निर्धारित मार्ग पर कलश रथ यात्रा आयोजित की जाएगी।

स्थानीय स्तर पर होंगे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम- अभियान के दौरान जिला एवं ग्राम स्तर एवं चिन्हित स्थानीय मंदिरों में विविध स्वरूप के आयोजन यथा सामूहिक आरती, गुरुवाणी पाठ, भजन संध्या,

समरसता संकल्प और अन्य स्थानीय धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इनमें स्थानीय संतों, गुरुओं, समाज के प्रतिनिधियों एवं नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक निकलेगी समरसता यात्रा- श्री गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा 5 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2026 के मध्य आयोजित होगी। इसमें डेरा सचखण्ड, बल्लन (जालंधर) से प्रारंभ होने वाली यात्रा मध्यप्रदेश राज्य के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरेगी। यात्रा के प्रमुख पड़वों पर यात्रा का भव्य स्वागत, समरसता संकल्प, समरसता गोष्ठी और समता, सेवा, सामाजिक न्याय एवं बेगमपुरा के आदर्श समाज संबंधी संदेश पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर में भगदड़ जैसे हालात

- 13 घायल, कई बेहोश; कतार में थे 40 हजार श्रद्धालु
- सिर्फ नागपंचमी पर खुलते हैं कपाट, भारी भीड़ उमड़ी इसलिए बिगड़ी स्थिति

उज्जैन (नप्र)। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सोमवार को भगदड़ जैसे हालात बन गए। बताया जा रहा है कि यहां करंट फैलने की अफवाह फैली थी। लोग-एक दूसरे के ऊपर गिर गए। दबाव बढ़ने से 13 लोगों को चोट आई है। प्राथमिक इलाज के बाद 3 को छोड़कर सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, यहां नागचंद्रेश्वर भगवान के दर्शन के लिए करीब 40 हजार श्रद्धालु लाइन में लगे हैं। अब तक करीब 5.50 लाख श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर चुके हैं। यह मंदिर महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर है। यह नागपंचमी के दिन ही खोला जाता है। जिन श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ी उन्हें उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस और प्रशासन ने



मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाल ली है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि घायलों ने भीड़ प्रबंधन में लापरवाही और मदद मिलने में देरी का आरोप लगाया।

रसीद काटकर वीआईपी दर्शन कराए जा रहे थे

सागर के मुताबिक इस दौरान वीआईपी दर्शन चालु था। 13 सौ रुपए की रसीद काटकर वीआईपी दर्शन कराए जा रहे थे। सागर ने कहा- मैं कल भी महाकाल मंदिर गया था। कल भी भारी भीड़ के बीच वीआईपी लोगों को एंट्री मिल रही थी। आम लोग मानसरोवर गेट पर चार घंटे से खड़े थे।

घायल बोला- प्रशासन से मदद मिलने में देरी हुई

भगदड़ में घायल सागर ने बताया कि घटना से पहले मैं महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए लाइन में लगा था। 17-8 घंटे बाद हरसिद्धि चौराहे तक पहुंचा। वहां हमें दो घंटे तक खड़ा रखा गया। भीड़ बढ़ रही थी और आरती का समय होने के कारण हमें वहीं रोक दिया गया।

महिला बोली- बेटी बोल नहीं पा रही, दांत भी टूट गए हैं

ग्वालियर से आई एक अन्य श्रद्धालु आरती ने बताया कि उनकी बेटी भी घटना में घायल हुई है। उन्होंने कहा- हम ग्वालियर से दर्शन के लिए आए थे और अब परेशान हैं। उसने पानी तक नहीं पीया है। वह बोल नहीं पा रही है। उसके दांत टूट गए हैं। भगदड़ मची थी। उसे चक्कर आया और वह रोलिंग पर गिर गई। बेहोश होने के बाद हमें एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। महाकाल मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक ने कहा- श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन निर्बंध रूप से जारी हैं। मंदिर परिसर में किसी भी तरह की अफरा-तफरी या अग्रिय घटना नहीं हुई है।

डीआरआई की कार्रवाई, 4.72 करोड़ का 3 किलो सोना जब्त, 3 तस्कर भी पकड़ाए

इंदौर। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) ने इंदौर में विदेशी सोने की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 3 किलो सोना जब्त किया है। बरामद सोने की कीमत लगभग 4.72 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों ने डीआरआई अधिकारियों से बचकर निकलने की कोशिश की और कथित तौर पर उन पर हमला भी किया। डीआरआई को विदेशी सोने की तस्करी से जुड़ी सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम ने शुक्रवार को इंदौर में दो संदिग्धों को रोका। दोनों महाराष्ट्र के अकोला से कार में सवार होकर इंदौर पहुंचे थे। अधिकारियों को आशंका थी कि वे तस्करी के जरिए लाया गया सोना यहां किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने वाले हैं।

कुचलने की कोशिश- डीआरआई अधिकारियों ने जब संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने वहां से भागने की कोशिश की। जांच एजेंसी के अनुसार, इस दौरान आरोपियों

अधिकारियों को कार से कुचलकर भागने की कोशिश की, पत्थर से हमला



ने अधिकारियों पर कार चढ़ाने का प्रयास किया। भागने की कोशिश के बीच एक आरोपी ने कथित तौर पर बड़ा पत्थर उठाकर डीआरआई के एक अधिकारी के सिर पर हमला कर दिया। हमले में 2 अधिकारी घायल हो गए। दोनों को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाकर उपचार कराया गया। इसके बाद डीआरआई की टीम ने कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसमें करीब 3 किलो विदेशी मूल का सोना बरामद हुआ। इसी दौरान सोना लेने के लिए पहुंचे एक अन्य व्यक्ति को भी अधिकारियों ने पकड़ लिया। पूछताछ के बाद मामले में कुल 3 आरोपियों को

विदेशी सोने को देसी बताया

जांच के दौरान सोने की तस्करी का एक और तरीका सामने आया। डीआरआई के अनुसार, विदेशी मूल की पहचान छिपाने के लिए सोने को पहले पिघलाया गया और फिर उसे दोबारा ईंट के आकार में तैयार किया गया। इसके बाद उस पर भारतीय ब्रांड की नकली पहचान अंकित कर दी गई। बरामद सोने की 2 ईंटों पर 'अग्निस्' की नकली मार्किंग मिली है। आशंका है कि इस निशान का इस्तेमाल विदेशी सोने की वास्तविक पहचान छिपाकर उसे भारतीय सोने के रूप में बाजार में खपाने के लिए किया जा रहा था।

गिरफ्तार किया गया।

कस्टम एक्ट के तहत गिरफ्तारी- डीआरआई ने तीनों आरोपियों को कस्टम एक्ट, 1962 की संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। अब जांच एजेंसी यह पता लगाने में जुटी है कि सोना आखिर कहाँ से लाया गया था और इंदौर में इसे किस व्यक्ति को सौंपा जाना था। पूछताछ के जरिए तस्करी से जुड़े अन्य लोगों और पूरे नेटवर्क तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों को यह भी पता लगाना है कि विदेशी सोने की पिघलाकर उस पर नकली

भारतीय ब्रांड की पहचान लगाने का काम कहाँ किया गया और इस प्रक्रिया में कौन-कौन लोग शामिल थे। इंदौर में हुई यह कार्रवाई विदेशी सोने की तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 4.72 करोड़ रुपए के सोने की बरामदगी के साथ ही अधिकारियों पर हमला किए जाने से मामला और गंभीर हो गया है। डीआरआई अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर तस्करी की पूरी कड़ी और इसके पीछे सक्रिय लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है।

लूट का पर्दाफाश करने वाले सम्मानित

इंदौर। पिछले दिनों लूट की घटना का पर्दाफाश करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। सभी को पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने प्रशस्ति पत्र सौंपा। सम्मानित होने वालों में पलासिया टीआई सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, उपनिरीक्षक जगदीश मालवीय, प्रधान आरक्षक अभिषेक सेंगर, प्रधान आरक्षक रिकू राजपूत, प्रधान आरक्षक विशाल पाटील, प्रधान आरक्षक इमरत, प्रधान आरक्षक धनराजगिरी है। जबकि नीतू सिंह, उपनिरीक्षक निधि भित्तल थाना लसुडिया को ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुप्त हुए 11 बालक/बालिकाओं को सकृशल ढूँढ निकालने तथा सहायक उपनिरीक्षक ओमपाल यादव, प्रधान आरक्षक शत्रु दामोदर, महिला आरक्षक श्रेया, महिला आरक्षक मनीषा, आरक्षक भगवत यादव, महिला आरक्षक रानी, महिला आरक्षक लता, महिला आरक्षक प्रियंका, आरक्षक देवेंद्र पाटीदार, आरक्षक नवदीप सिंह थाना यातायात को बेहतर यातायात प्रबंधन में सराहनीय कार्य करने का पुरस्कार दिया गया।

डॉट से नाराज नाबालिग घर से भागा

इंदौर। डॉट से नाराज 12 साल का बच्चा घर से चला गया था। शिकायत के बाद विजय नगर पुलिस ने 12 घंटे में बालक को खोज निकाला। फरियादी ने बताया था कि उनकी पत्नी द्वारा बालक को दोस्तों के साथ खेलने एवं देर से घर आने पर डांट दिया गया था। इससे नाराज होकर बालक रात्रि करीब 9.30 बजे घर से कहीं चला गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल चार टीमों का गठन किया। इसके बाद टीमों ने बालक की तलाश में संभावित स्थानों, मार्गों एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन सर्चिंग की। पुलिस टीमों ने 50-60 से अधिक कैमरों की फुटेज को बारीकी से खगाला। साथ ही बालक के संभावित ठिकानों एवं परिचितों के संबंध में जानकारी जुटाकर लगातार तलाश की। तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण एवं लगातार किए गए सर्व ऑपरेशन के परिणामस्वरूप बालक को सकृशल ढूँढ लिया गया।

नशे के कारोबार पर पुलिस का शिकंजा

इंदौर। शहर में अपराधों के साथ मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगाने पुलिस लगातार अभियान चला रही है। पुलिस की कार्रवाई के साथ ही थाना स्तर पर मोहल्ला समितियों की बैठकें लीं। इस दौरान लोगों को नशे के कारोबार की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने जागरूक किया जा रहा है। इसका असर अब कई थाना क्षेत्रों में दिखाई देने लगा है। मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री में कमी आने का दावा पुलिस ने किया है। सहायक पुलिस आयुक्त रूबीना मिजवानी के अनुसार, हीरानगर और बाणगंगा थाना क्षेत्र में विशेष रूप से बड़ी संख्या में मोहल्ला समितियों की बैठकें आयोजित की गईं। पुलिस की कार्रवाई के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से जुलाई के बीच इन क्षेत्रों में मादक पदार्थों से जुड़े 14 प्रकरण दर्ज किए गए। इन मामलों में 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि उनके कब्जे से करीब 16 लाख रुपए का मादक पदार्थ बरामद किया गया। आबकारी विभाग ने सिंधी कालोनी से संगीता उर्फ मोंटी बाई पति प्रदीप नैनिए से 59.04 बल्क लीटर और बड़ी ग्वालटोली से रजत पिता सुरेश सोनकर से 107.64 बल्क लीटर शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत 90 हजार 540 रुपए है।

ट्रैफिक पुलिस ने बताए सड़क सुरक्षा के गुर

इंदौर। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में विद्योदय एजुकेशन में सीए एवं सीएस की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम किया गया। इसमें ट्रैफिक के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विरम सिंह रघुवंशी ने छात्रों को हादसों की गंभीरता से अवगत कराया। उन्होंने कहा, छोटी-सी लापरवाही भी कई बार बड़ा नुकसान पहुंचाती है। रघुवंशी ने छात्रों को ट्रैफिक मैनेजमेंट के 4ई मॉडल, इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इम्प्रोर्समेंट और इमर्जेंसी केयर की जानकारी दी। इस दौरान वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि वे किस तरह भविष्य में सीए, सीएस के रूप में वे देश की आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जिम्मेदार नागरिक के रूप में सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाने में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है। विद्योदय एजुकेशन प्रबंधन ने कार्यक्रम की सराहना की।

मारपीट का आरोपी 1 साल बाद धराया

इंदौर। शराब की मुछबिरी के मामले में युवक पर तलवार से हमला करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने तीन हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। सांवर थाना प्रभारी गिरिजा शंकर महोबिया ने बताया कि पिछले साल 24 सितंबर को फरियादी निर्मल सिंह पिता प्रकाश डाबी निवासी शाहदा पर तलवार से हमला किया गया था। घायल निर्मल ने बताया था कि उसे बाबू उर्फ छतर सिंह पिता नाथू सिंह ने अपने भाई राकेश और अन्य साथियों के साथ मिलकर रोका और शराब की मुछबिरी करने के शक में मारपीट की। घटना के बाद से आरोपीगण फरार चल रहे थे।

आधा अगस्त बीता, अभी भी बारिश का आंकड़ा औसत से 2 इंच दूर

45 दिनों पर उम्मीद, बंगाल की खाड़ी के सिस्टम से बारिश



हिस्सों में दिखाई दे सकता है।

अगस्त में कब अच्छी बारिश - इंदौर में अगस्त महीने में सर्वाधिक 28 इंच बारिश वर्ष 1944 में दर्ज की गई थी। वहीं, 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश का रिकॉर्ड 22 अगस्त 2020 का है। उस दिन करीब साढ़े

बारिश बढ़ने की उम्मीद

प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में इस दौरान भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इसका असर पहुंच सकता है। इंदौर सहित आसपास के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की उम्मीद है। यदि मौसम तंत्र लगातार सक्रिय रहे तो शहर में अच्छी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। अगस्त इंदौर में बारिश के लिहाज से महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। शहर में इस महीने सामान्य तौर पर 10 से 11 इंच बारिश होती है और करीब 12 से 13 दिन बारिश दर्ज की जाती है। लेकिन इस बार अगस्त का पहला पखवाज अपेक्षाकृत सूखा रहा है। इसके चलते अब आने वाले दिनों में होने वाली बारिश पर शहर की नजर है।

बच्चों को अपशब्द कहा, भाजपा के नेता का चचेरे भाई से विवाद

परिवार के आपसी विवाद की शिकायत थाने तक पहुंची

इंदौर। छत्रीपुरा क्षेत्र के कंजर मोहल्ले में बच्चों को अपशब्द कहने की बात को लेकर भाजपा नेता समर्थक विशाल बैस और उनके चचेरे भाई आनंद बैस के परिवार के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के लोग सड़क पर आ गए और एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए अपशब्द कहने लगे। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया। बाद में विशाल बैस अपने परिवार के साथ छत्रीपुरा थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दी। विशाल बैस के परिवार का आरोप है कि विवाद की शुरुआत आनंद बैस द्वारा उनके बच्चों को मारने की बात कहने और अपशब्द बोलने से हुई। इसकी जानकारी मिलने पर परिवार की महिलाएं मौके पर पहुंचीं तो उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किए जाने का आरोप है। विवाद के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाए, जिनमें दो दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। विशाल बैस क्षेत्रीय विधायक एकलव्य गौड़ के समर्थक बताए जाते हैं। वे भाजपा युवा मोर्चा सहित मंडल स्तर के कई पदों पर भी रह चुके हैं।

पहले भी सामने आया विवाद - विशाल बैस का नाम पिछले साल नवरात्रि आयोजन के दौरान बियाबानी चौराहे पर हुए विवाद में भी सामने आया था। यहां भाजपा नेता गंगा पांडे के समर्थकों से उनका विवाद हुआ था। उस मामले में पुलिस ने रात में दोनों पक्षों की ओर से कार्रवाई की थी।

पुलिस की दबिश पर खेतों में भागे जुआरी, बाइक-ताश की गड़ी छूटी

इंदौर। राऊ इलाके में शनिवार देर रात जुए के अड्डे पर पुलिस की दबिश पड़ते ही जुआरियों में भगदड़ मच गई। पुलिस की गाड़ियां देखते ही जुआरी अपनी बाइक और ताश के पते मौके पर छोड़कर खेतों की ओर भाग निकले। अंधेरा होने के कारण पुलिस को गाड़ियों की सूचना नहीं लगा, लेकिन मौके पर मिली आधा दर्जन से ज्यादा बाइक को पुलिस ने जब्त कर थाने पहुंचाया। जोन-1 के पुलिस उपायुक्त नरेंद्र रावत को राऊ क्षेत्र में बड़े स्तर पर जुआ संचालित किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद पुलिस ने शनिवार रात कार्रवाई की तैयारी की। रात करीब डेढ़ बजे पेट्रोल पंप के पास जुआ चलने की जानकारी मिलने पर पुलिस की अलग-अलग

राऊ में रात डेढ़ बजे पुलिस टीमों ने जुए के अड्डे पर कार्रवाई की

टीमें मौके पर पहुंचीं और घेराबंदी कर दबिश दी।

जुआरी पुलिस को देखकर भागे

पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंचते ही वहां जुआ खेल रहे लोगों को कार्रवाई का अंदाजा हो गया। जुआरी अपनी बाइक वहीं छोड़कर खेतों की तरफ भागने लगे। रात का अंधेरा होने के कारण वे पुलिस की पकड़ में नहीं आए।

पुलिसकर्मियों ने मौके की तलाशी ली तो वहां ताश के पते और कई बाइक मिलीं। सभी बाइक को जब्त कर थाने लाया गया। पुलिस को प्रारंभिक

हथियारों की खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार, मिले 4 अवैध हथियार

तेजाजी नगर पुलिस की कार्रवाई; करीब 2 लाख का माल बरामद

इंदौर। अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ चल रही कार्रवाई में तेजाजी नगर थाना पुलिस ने एक युवक को हथियारों की खेप के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से तीन देशी पिस्टल, एक सिक्स राउंड देशी रिवॉल्वर और चार जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। हथियारों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही काले रंग की हीरो पैशन प्लस बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। बरामद हथियार और वाहन की कुल कीमत करीब दो लाख रुपए बताई गई है।

जोन-1 के एडिशनल डीसीपी सुमित केकेट्ट ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन पुलिस टीम आउटर और बायपास क्षेत्र में संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान कस्तूरबा ग्राम-रालामंडल रोड पर एक युवक बाइक लेकर संदिग्ध हालत में नजर आया। पुलिस को देखते ही उसने बाइक से भागने का प्रयास किया, लेकिन टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।



पहले से दर्ज आपराधिक मामला

पुलिस के मुताबिक आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ बाणगंगा थाने में पहले भी प्रकरण दर्ज है। तेजाजी नगर पुलिस ने आर्मस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि हथियारों की यह खेप वह कहाँ से लेकर आया था और इंदौर में किन लोगों तक इसकी सप्लाई की जानी थी। पुलिस हथियार तस्करी से जुड़े नेटवर्क के अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है।

पूछताछ में आरोपी की पहचान मिथिलेश पिता राधेश्याम लश्करी (30), निवासी सुपर सिटी शांति नगर, महू के रूप में हुई। उसके कंधे पर टांगे काले बैग की

तलाशी ली गई तो उसमें 32 बोर की तीन देशी पिस्टल, एक सिक्स राउंड देशी रिवॉल्वर और चार जिंदा 32 बोर कारतूस मिले।

ऑंकारेश्वर रोड स्टेशन पर बिजली से ट्रेन संचालन का ट्रायल सफल

इंदौर-खंडवा प्रोजेक्ट को रफ्तार, इंटरलॉकिंग का काम पूरा

इंदौर। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल के तहत इंदौर-खंडवा गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। इस रूट पर स्थित ऑंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरी तरह खत्म हो चुका है। काम पूरा होने के बाद रेलवे की ओर से इलेक्ट्रिक इंजन (लोकों) चलाकर एक सफल ट्रायल भी पूरा किया गया। रेलवे जनसंपर्क विभाग के अनुसार, इस पूरे रेल रूट और स्टेशनों को आधुनिक तकनीक से लेस किया जा रहा है। ऑंकारेश्वर रोड स्टेशन पर विद्युतीकरण का परीक्षण करने के साथ ही बिजली



आपूर्ति और ट्रैक की तकनीकी जांच भी की गई। इससे पहले यहां इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम को सफलतापूर्वक शुरू किया जा चुका है। सिग्नलिंग के बाद इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होने से इस स्टेशन की ट्रेन ऑपरेटिंग कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी।

यात्री सुविधाओं पर काम - स्टेशन पर आने वाले यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए यात्री सुविधाओं का विस्तार भी किया जा रहा है। प्लेटफार्म और पैसेंजर एमेनिटीज से जुड़े ज्यादातर निर्माण कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जबकि बचे हुए काम तेजी से निपटाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों का लक्ष्य इन कार्यों को तय डेडलाइन के भीतर पूरा करना है। इंदौर-खंडवा गेज कन्वर्जन योजना के तहत पूरे रूट पर आधुनिक सुरक्षा मापदंडों, सिग्नल सिस्टम और बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जा रहा है, ताकि क्षेत्र में रेल यातायात को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जा सके।

4.5 करोड़ रुपए की लागत से बना 14-डी थिएटर, दर्शकों के लिए खुला



होगा। टिकट लेने के बाद रोज़ानी कम होते ही नियोन लाइटिंग के बीच 3-डी जंगल का अनुभव शुरू होगा। दीवारों पर पेड़, टाइगर, शेर और जंगल के दृश्य दिखाई देंगे। 3-डी चरमों के साथ दर्शक चलने वाली सीटों पर बैठेंगे। करीब 20 मिनट के शो को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 10 मिनट में जंगल का रोमांच दिखाया जाएगा। स्क्रीन के दृश्यों के अनुसार सीट आगे-पीछे और ऊपर-नीचे चलेगी। हवा, पानी के छींटे, कोहरा और बुलबुले भी महसूस होंगे।

जीवों की आभासी दुनिया- 10 मिनट में प्री-हिस्टोरिक एडवेंचर के जरिए पुराने जंगल

और उस दौर के जीवों की आभासी दुनिया दिखाई जाएगी। यदि वाहन पहाड़ से नीचे उतरता दिखेगा तो सीट नीचे जाएगी और चढ़ाई के दौरान ऊपर उठेगी। जंगल की सवारी और रोलर कोस्टर जैसा अनुभव देने के लिए सीटों में हल्के झटके भी होंगे। 14-डी थिएटर के बाद दर्शक ग्लो गार्डन जा सकेंगे। यहां शेर और बोलता हुआ पेड़ स्वागत करेंगे। हाथ लगाने पर प्रवेश द्वार खुलेगा। अंदर फाइबर ऑप्टिक लाइट्स से सजावट की गई है। घास जैसे पर्शों के आसपास तितलियों और पौधों की आकृतियां हैं, जो दर्शकों के कदम पड़ने पर रोशन होंगी।

अड्डे पर कार्रवाई हो चुकी है।

कुछ दिन पहले अपराध शाखा की टीम ने महालक्ष्मी नगर में दबिश देकर करीब 2 दर्जन जुआरियों को पकड़ा था। कार्रवाई के दौरान उनके कब्जे से लाखों रुपए भी बरामद किए गए थे। बताया जा रहा है कि लसूडिया में कार्रवाई के बाद जुआ खेलने वाले लोगों ने राऊ क्षेत्र में अपना नया ठिकाना बना लिया था। पुलिस को इसकी सूचना मिलने के बाद देर रात कार्रवाई की गई। फिलहाल जब्त बाइक की जांच की जा रही है और फरार जुआरियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।

संपादकीय

तमिलनाडु और कर्नाटक : फिर टकराव

तमिलनाडु और कर्नाटक पड़ोसी राज्य होने के बाद दोनों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर टकराव जारी रहता है और यह अक्सर राजनीतिक रूप ले लेता है। फिर चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। इसी श्रृंखला में ताजा मामला कर्नाटक के जंगलों में वन कर्मियों और शिकारियों के बीच हुई मुठभेड़ है। इस हिंसक मुठभेड़ में तीन लोगों की मौत हो गई। इस गंभीर घटना के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने दावा किया कि मृतक तमिल थे और घटना की गहन जांच की जानी चाहिए। वहीं, कर्नाटक सरकार ने इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं और परिवारों को मुआवजा देने की बात कही है। गौरतलब है कि कर्नाटक के चामराजनगर जिले में शनिवार को वनकर्मियों को सूचना मिली थी कि संदिग्ध शिकारी कथित तौर पर वन्यजीवों का शिकार करने के इरादे से जंगल में दाखिल हुए हैं। इस सूचना के बाद वन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे तो संदिग्ध शिकारियों ने वनकर्मियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में वनकर्मियों ने भी गोलियां चलाईं। इस मुठभेड़ में तीन लोगों की गोली लगने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान एंटनी स्वामी, जॉन रोज पीटर और कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई और मामले को जांच शुरू कर दी गई है। वन विभाग ने मौके से बंदूकों के अलावा कुछ दस्तावेज और अन्य सामान भी जब्त किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के मुताबिक, संदिग्ध शिकारियों के पास से जंगली जानवरों के मांस से भरे दो बैग भी बरामद किए गए हैं। तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, ताकि मौत की परिस्थितियों को लेकर जरूरी तथ्य सामने आ सकें। उधर तमिलनाडु के सीएम विजय ने कहा कि ‘एंटनी स्वामी, जॉन रोज पीटर और कुमार जो कर्नाटक के चामराजनगर जिले के हनूर तालुक के गांवों में रहने वाले तमिल थे को 15 अगस्त, 2026 की सुबह कारवै वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में कर्नाटक वन विभाग के अधिकारियों ने गोली मारकर मार डाला। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।’ उन्होंने कर्नाटक वन विभाग की ओर से दी गई सफाई को ‘अस्वीकार्य’ बताते हुए मामले को गहन जांच की मांग की। ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आखिर किन परिस्थितियों में तीनों लोगों की जान गई। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्हें मुठभेड़ की जानकारी शनिवार सुबह करीब 5 बजे मिली। शिवकुमार के मुताबिक, मौके से शिकारियों की बंदूकें और जंगली जानवरों के मांस से भरे दो बैग बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में एक व्यक्ति भाग निकला...। शिवकुमार के मुताबिक उन्होंने हमारे वनकर्मियों पर गोली चलाई थी, जो वहां मौजूद थे।’ मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। इस बीच राज्य में भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अशोक ने इस घटना को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कमिश्नर पर गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा इस मामले में न्यायिक जांच की मांग करती है। इस मामले से बड़ा सवाल यह है कि जंगल में हुई इस कथित मुठभेड़ के गोलीबारी किन परिस्थितियों में हुई और क्या वन कर्मियों को कार्रवाई नियमों के मुताबिक थी। एक ओर वन विभाग और सरकार इसे संदिग्ध शिकारियों के साथ हुई मुठभेड़ बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विजय और विपक्ष ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर मामले को राजनीतिक और प्रशासनिक बहस के केंद्र में ला दिया है। खास बात यह भी है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु में भी टीवीके की सरकार में कांग्रेस शासित है। बावजूद इसके दोनों सरकारों में तलखी में कहीं कोई कमी नहीं है।

नजरिया

कुमार कृष्णन

लेखक सत्भकार हैं।



एमएमडीआर संशोधन विधेयक, 2026 संसद से पारित हो गया। सरकार के लिए यह खनिज क्षेत्र में सुधार, निवेश को प्रोत्साहन, कानूनी अनिश्चितता की समाप्ति और खनन की लागत को तर्कसंगत बनाने का कानून है। उसका कहना है कि राज्यों की अलग-अलग लेवों, कर और उपकर से खनन क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा होती है और इसका असर निवेश तथा अंततः उपभोक्ता पर पड़ता है। तर्क सुनने में ठीक है। मगर लोकतंत्र में किसी कानून का अर्थ केवल सरकार की व्याख्या से तय नहीं होता। यह भी देखना पड़ता है कि कानून के बाद अधिकार किसके पास जाता हैं, संसाधन पर किसकी पकड़ मजबूत होती है और लाभ का भूगोल किस दिशा में बदलता है।

खनिज जमीन के नीचे होता है, लेकिन उसका राजनीतिक अर्थ जमीन के ऊपर तय होता है। कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट या कोई दूसरा खनिज केवल बाजार में बिकने वाली वस्तु नहीं है। उसके साथ जमीन है, जंगल है, पानी है, आदिवासी समाज है, विस्थापन है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। इसलिए खनिज नीति को केवल उत्पादन, निवेश और कंपनियों की लागत के आंकड़ों से नहीं समझा जा सकता।

झारखंड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस राज्य की धरती देश के औद्योगिक विकास को कोयला और लौह अयस्क देती है, उसी राज्य का युवा नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सड़क पर है। जमीन के नीचे देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी खनिज हैं और उसी जमीन के ऊपर रोजगार की तलाश में भटकता युवा। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी?

झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य देश के खनिज मानचित्र में महत्वपूर्ण हैं। दशकों से इनकी धरती से निकला कच्चा माल देश के दूसरे हिस्सों के उद्योगों को गति देता रहा है। बिजली बनती है, इस्पात बनता है, कारखाने चलते हैं, शहर बढ़ते हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था आगे जाती है। लेकिन खनिज-स्रोत क्षेत्रों से पृष्ठिए कि इस विकास का स्थानीय हिस्सा क्या है।

कितने स्थानीय युवाओं को स्थायी रोजगार मिला? कितने उद्योग खनिज के साथ वही लगे? कितनी प्रसंस्करण इकाइयां बनीं? कितने स्थानीय उद्यम खड़े हुए? विस्थापित परिवारों का जीवन कितना सुधरा? और क्या खनिज-संपदा ने वहां के युवा को इतना सक्षम बनाया कि उसे रोजगार के लिए अपने घर से

प्राकृतिक संपदा को मानव संपदा में बदलने की चुनौती

बाहर जाने की जरूरत न पड़े?

यदि इन प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक नहीं है तो केवल उत्पादन बढ़ने को विकास कहना अपने आप को धोखा देना है।

भारत में लंबे समय से एक आर्थिक प्रवृत्ति दिखाई देती है—कच्चा माल एक जगह से जाता है और उसका अधिक मूल्यवर्धन दूसरी जगह होता है। संसाधन-स्रोत प्रदेश को खनन से जुड़ी गतिविधियां, कुछ रोजगार और राजस्व मिलता है; दूसरी ओर उसे विस्थापन, पर्यावरणीय दबाव और सामाजिक बदलाव की कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों की भूमिका कच्चा माल और श्रम उपलब्ध कराने तक सीमित होती जा रही है?

बिहार की स्थिति अलग है, लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा वही है। उसके पास झारखंड जैसी खनिज संपदा नहीं, लेकिन विशाल श्रमशक्ति है। स्थानीय रोजगार पर्याप्त नहीं है, इसलिए युवा दूसरे राज्यों की ओर जाता है। कोई निर्माण मजदूर बनता है, कोई कारखाने में काम करता है, कोई सुरक्षा गार्ड बनता है, कोई चालक। राज्य की सबसे बड़ी संपदा—उसकी युवा आबादी—दूसरे राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करती है।

झारखंड खनिज देता है, बिहार श्रम देता है। सवाल है कि दोनों अपने संसाधनों का पूरा आर्थिक मूल्य क्यों नहीं हासिल कर पाते?

यही प्रश्न बेरोजगारी तक पहुंचता है। आज का युवा पढ़ रहा है, वर्षों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। लाखों आवेदन होते हैं और नियुक्तियां सीमित रहती हैं। उम्र निकलती जाती है। ऊपर से परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठें, धांधली या अनियमितता के आरोप लेंगे, परिणाम और नियुक्ति में देरी हो तो युवा का भरोसा टूटना स्वाभाविक है।

फिर उसी युवा से कहा जाता है—नौकरी मत मांगो, उद्यमी बनो। उद्यमिता भाषण से नहीं पैदा होती। उसके लिए पूंजी, बाजार, बिजली, भूमि, तकनीक, कौशल और प्रशासनिक भरोसा चाहिए। जिस राज्य में छोटા उद्योग लगाने वाला व्यक्ति वित्त, बाजार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच फंसा रहे, वहां युवाओं से उद्यमी बनने की अपेक्षा अभूरी नीति है।

नौकरी नहीं, उद्यम नहीं, तो पलायन। यही वह त्रिकोण है जिसमें बिहार और झारखंड का युवा फंसा हुआ है।

इसलिए झारखंड के छत्र आंदोलन को केवल कानून-व्यवस्था का मामला मानना भूल होगी। छत्र पूछ रहा है—पढ़ाई के बाद क्या होगा? परीक्षा निष्पक्ष

होगी? नियुक्ति कब होगी? नौकरी मिलेगी या उम्र निकल जाएगी? और अगर नौकरी नहीं मिली तो अपने ही राज्य में मेरे लिए क्या अवसर है?

इन सवालों का उत्तर लाठी या मुकदमे से नहीं दिया जा सकता। युवा आंदोलन लोकतंत्र का तापमान बताता है।

इसके पीछे किसके हित हैं, यह जांच और समय बताएगा। मगर यह सवाल पूछना जायज है कि जब एक राज्य का युवा रोजगार के लिए सड़क पर है, उसी समय उसी राज्य के प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े अधिकारों में बड़ा बदलाव हो रहा है, तो क्या दोनों प्रश्नों को एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए?

क्यों खनिज-संपदा का अधिक मूल्यवर्धन उसी राज्य में न हो जहां से वह निकलता है? खनिज के साथ उद्योग क्यों न आए? उद्योग के साथ कौशल और स्थानीय रोजगार क्यों न आए? यदि कोयला झारखंड से निकलता है तो झारखंड का युवा केवल खदान के आसपास का मजदूर क्यों बने? यदि लौह अयस्क ओडिशा से निकलता है तो उससे बनने वाली औद्योगिक श्रृंखला में स्थानीय युवाओं की भागीदारी क्यों सीमित रहे? यहीं एमएमडीआर संशोधन का संघीय प्रश्न सामने आता है। सरकार खनिज क्षेत्र में एकरूपता चाहती है। उद्योग के लिए स्पष्ट नियम जरूरी भी हैं। लेकिन एकरूपता का अर्थ केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। भारत का संघवाद केवल अधिकारों का संवैधानिक बंटवारा नहीं, बल्कि संसाधनों और जिम्मेदारियों का संतुलन भी है। यदि खनिज राज्य की जमीन से निकलता है, पर्यावरणीय दबाव राज्य झेलता है, विस्थापन स्थानीय समाज सहता है और बुनियादी ढांचे पर दबाव राज्य सरकार उठाती है, तो राज्य की वित्तीय और नीतिगत क्षमता को कितना सीमित किया जा सकता है?

सर्वोच्च न्यायालय ने 2024 में खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर राज्यों की कराधान शक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया था। अब संसद का नया कानून उस संवैधानिक और वित्तीय स्थिति को नए सिरे से प्रभावित कर रहा है। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कानून की अंतिम कसौटी संविधान है। इसलिए यह बहस केवल राजनीतिक नहीं, संवैधानिक भी है।

यह सवाल भाजपा या किसी एक सरकार के लिए ही नहीं है। आज सत्ता में एक दल है, कल दूसरा होगा। यदि व्यवस्था में केंद्रीकरण बढ़ता है तो उसका इस्तेमाल कोई भी सरकार कर सकती है। इसलिए सवाल दलगत कम और संघीय ज्यादा है।

केंद्र मजबूत होना चाहिए, लेकिन मजबूत केंद्र का

अर्थ कमजोर राज्य नहीं हो सकता। राष्ट्रीय खनिज नीति होनी चाहिए, लेकिन स्थानीय समाज की कीमत पर नहीं। निवेश आना चाहिए, लेकिन स्थानीय रोजगार के बिना नहीं। खनिज उत्पादन बढ़ना चाहिए, लेकिन खनिज-स्रोत क्षेत्रों की गरीबी बढ़ाकर नहीं।

गांधी का विकास-विचार यहां फिर याद आता है। वे विकास के विरोधी नहीं थे, लेकिन ऐसी व्यवस्था के विरोधी थे जिसमें साधन मनुष्य से बड़े हो जाएं। ग्राम स्वराज का अर्थ स्थानीय समाज को अपने जीवन और संसाधनों पर सार्थक अधिकार देना था। सामाजिक कार्यकर्ताओं और आदिवासी अधिकार आंदोलनों की लंबी परंपरा भी यहीं पृष्ठती रही है—विकास किसके लिए और किसकी कीमत पर?

भारत के विकास की एक असुविधाजनक सच्चाई यह है कि कुछ राज्य पूंजी और उद्योग के केंद्र बनते गए और कुछ कच्चे माल या श्रम के स्रोत। यदि यह अंतर बढ़ता रहा तो राष्ट्रीय विकास के आंकड़े चाहे जितने सुंदर दिखें, संघीय असमानता बनी रहेगी।

भारत माता की जय कहना आसान है। लेकिन भारत माता की धरती से निकली संपदा का न्यायपूर्ण हिस्सा उसके बच्चों तक पहुंचना कठिन काम है। भारत माता वह आदिवासी भी है जिसका जंगल छूटा है, वह किसान भी है जिसकी जमीन जाती है, वह खनिज भी है जो जोखिम में काम करता है, वह छात्र भी है जो वर्षों परीक्षा की तैयारी करता है और वह मजदूर भी है जो हजार किलोमीटर दूर जाकर काम करता है।

इसलिए देशभक्ति केवल नारा नहीं है। देशभक्ति यह पृष्ठने का साहस भी है कि देश के संसाधनों से देश के नागरिकों का जीवन कितना बदला।

एमएमडीआर संशोधन की असली परीक्षा खनन उत्पादन के आंकड़ों से नहीं होगी। परीक्षा इस बात की होगी कि खनिज-संपदा वाले राज्यों की आर्थिक क्षमता कितनी बची, स्थानीय लोगों को हिस्सेदारी कितनी बढ़ी और युवाओं के लिए कितने अवसर बने।

वकना डर यही है कि खदानें बढ़ती रहेंगी और युवा घटते जाएंगे।

धरती के नीचे से कोयला निकलता रहेगा, लौह अयस्क निकलता रहेगा, खनिज निकलते रहेंगे। लेकिन धरती के ऊपर से युवा रोजगार की तलाश में निकलते रहेंगे।

तब सवाल फिर वहीं लौटेगा—खनिज किसका है? समृद्धि किसकी है? विकास किसका है? और उस विकास में उस युवा का हिस्सा कितना है, जो पढ़-लिखकर भी अपने घर में रोजगार नहीं पा रहा?

प्राकृतिक संपदा को मानव संपदा में बदलना ही विकास की असली कसौटी है।

बीज अधिकार पर बहस

राजकुमार सिन्हा

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।



एक जमाने में जो किसान बोनी, बखरनी और चैत जैसे कामों भर से खेती कर लिया करते थे, आज उन्हें पेचीदे कृषि कानूनों की भारी-भरकम किताबों का सहारा लेना पड़ रहा है। वजह है, खेती-किसानी में बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट कंपनियों का प्रवेश। मसलन, हाल में किसानों के बीज पर आलू-चिप्स बनाकर भारी मुनाफा कूटने वाली कंपनी ‘पेप्सिको’ की नजर लगी है। उसने अपने धंधे के लिए आलू के विशेष बीज को कानूनी रूप से अपने कब्जे में करवा लिया है। कैसे निपटेंगे, इस गोरखधंधे से किसान? क्या है, इसकी पेचीदगियों? बता रहे हैं, राजकुमार सिन्हा।

‘पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स’ और किसान अधिकार कार्यकर्ता कविता कुरुंगती के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद में सुप्रीमकोर्ट के हलिया फैसले ने भारत में किसानों के बीज के अधिकार और पौध की किस्मों पर कॉरपोरेट अधिकार के बीच जारी बहस को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। यह मामला केवल ‘पेप्सिको’ और कुछ आलू किसानों के बीच कानूनी विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके केंद्र में भारत की कृषि व्यवस्था से जुड़ा एक बुनियादी सवाल है कि बीज पर अंतिम अधिकार किसका है? उस किसान का जिसने पीढ़ियों से बीज को बचाया, बोया और विकसित किया है या उस कंपनी का जिसने किसी विशेष पौध की किस्म का पंजीकरण कराया है?

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल थे, ने ‘पेप्सिको’ की आलू की किस्म का पंजीकरण रद्द करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट किया कि ‘पेप्सिको’ द्वारा किसी किसान के खिलाफ कार्रवाई किए जाने पर संबंधित किसान ‘पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001’ के तहत अपने

कटाक्ष

सुदर्शन सोनी

लेखक व्यंग्यकार हैं।



देश ने क्रूर अंग्रेजी राज से स्वतंत्रता पाने के लिए लंबा संघर्ष किया। बहुतां ने लाठियों खाईं, जेल काटी, गोलियां खाईं और कई हंसेते हुए फांसी के फंदे पर चढ़ गए। आजादी मिली तो देश ने राहत की सांस ली। लेकिन संघर्ष समाप्त नहीं हुआ। एक नया संघर्ष शुरू हुआ—छुट्टी का संघर्ष। पहले लोग पूछते थे—‘देश कब आजाद होगा?’ अब पूछते हैं—‘पंद्रह अगस्त किस दिन पड़ रहा है?’ देशभक्ति अपनी जगह है, लेकिन छुट्टी का गणित उससे भी महत्वपूर्ण हो गया है। जैसे ही कैलेंडर में राष्ट्रीय पर्व दिखाई देता है, कर्मचारी की चमकती आँखों में तिरंगे से पहले सप्ताहंत दिखाई देने लगता है।

देश आजाद हुआ था अंग्रेजों से, हम छुट्टी के मामले में कैलेंडर से आजाद होना चाहते हैं। पंद्रह अगस्त शनिवार को पड़ जाए तो मन बुरा जाता है। रविवार को पड़ जाए तो लगता है स्वतंत्रता दिवस ने निजी छुट्टी का भी अधिकार छीन लिया। सोमवार को पड़ जाए तो चेहरे पर ऐसी चमक आती है जैसे देश ने दूसरी बार स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो। कि मौज का प्लान कैसे बनाया जाए। यदि कोई सहकर्मी ताड़ कर कहे कि क्या झंडारोहण में नही

क्या होगी? कविता कुरुंगती ने इस पूरे प्रकरण को केवल किसानों के खिलाफ दायर मुकदमों के रूप में नहीं देखा। उन्होंने इसे किसानों के वैधानिक अधिकारों और कॉरपोरेट बौद्धिक संपदा अधिकारों के बीच टकराव के रूप में उठाया और ‘पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001’ के तहत ‘पेप्सिको’ के पंजीकरण को रद्द करने की मांग की।

दिसंबर 2021 में ‘पौध किस्म एवं कृषक अधिकार



संरक्षण प्राधिकरण’ ने ‘पेप्सिको’ के पंजीकरण को रद्द कर दिया। इसके बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। एकल न्यायाधीश ने जुलाई 2023 में प्राधिकरण के निर्णय को कुछ आधारों पर बरकरार रखा, लेकिन जनवरी 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उस निर्णय को पलट दिया और ‘पेप्सिको’ का पंजीकरण बहाल हो गया। इसके बाद कविता कुरुंगती ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसके हलिया फैसले ने अब इस विवाद को एक नए कानूनी और

सामाजिक संदर्भ में खड़ा कर दिया है।

‘पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001’ भारत के महत्वपूर्ण कृषि कानूनों में से एक है। इसका उद्देश्य नई किस्मों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना, अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने वाले प्रजनकों को प्रोत्साहित करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना तथा किसानों के पारंपरिक बीज बचाने, उपयोग करने और खेती करने के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। इस कानून के तहत संरक्षित किस्मों के उत्पादन, बिक्री, विपणन, वितरण, आयात और निर्यात पर (खासतौर पर कंपनियों को) विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। दूसरी ओर, इसी कानून में किसानों को अपनी उपज और बीज को सहेजने, उपयोग करने, बोने, दोबारा बोने, आदान-प्रदान करने, साझा करने या बेचने का कानूनी अधिकार है। इस कानून का संचालन ‘पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण’ द्वारा किया जाता है, जो ‘केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय’ के अधीन है।

सुप्रीमकोर्ट के ताजा फैसले से किसान संघटनों और बीज अधिकार आंदोलनों की लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। अब संघर्ष का केंद्र किसान के व्यक्तिगत अधिकारों को जमीन पर लागू कराने और कानून की स्पष्ट व्याख्या कराने पर आ सकता है। किसान को यह समझना जरूरी है कि संरक्षित किस्म के संबंध में उसके पास कौन-कौन से अधिकार हैं और किन परिस्थितियों में ये अधिकार लागू होते हैं। कानून की जानकारी केवल वकीलों या विशेषज्ञों तक सीमित रहने से किसान अपने अधिकारों

का प्रभावी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए किसान संघटनों को गांव स्तर तक बीज अधिकारों से संबंधित कानूनी जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था करना होगी।

भारत में बीजों पर नियंत्रण का सवाल आने वाले वर्षों में और महत्वपूर्ण होने वाला है। कृषि में जैव-प्राौद्योगिकी, संकर बीज, नई पौध किस्मों और कॉरपोरेट निवेश का विस्तार हो रहा है। ऐसे में किसान समुदाय की पारंपरिक बीज प्रणालियां और स्थानीय जैव-विविधता भी दबाव में हैं। किसान के सामने चुनौती है कि उसके अधिकारों को केवल कानून की किताब में दर्ज प्रावधान न रहने दिया जाए, बल्कि खेत और गांव के स्तर पर उसका वास्तविक इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए। ‘पेप्सिको’-किसान विवाद का अगला अध्याय शायद सुप्रीमकोर्ट में नहीं, बल्कि खेतों, किसान संघटनों, कानूनी सहायता समूहों और संसद के भीतर लिखा जाएगा। आने वाले समय में असली कसौटी यही होगी कि भारत का किसान अपने वैधानिक बीज अधिकारों का इस्तेमाल कितनी स्वतंत्रता से कर पाता है और राज्य इन अधिकारों की रक्षा के लिए कितनी प्रभावी व्यवस्था बनाता है। सुप्रीमकोर्ट का फैसला भले ही ‘पेप्सिको’ की पंजीकृत किस्म के संबंध में तत्काल विवाद को एक सीमा तक स्पष्ट करता हो, लेकिन किसान के बीज अधिकार और कॉरपोरेट बौद्धिक संपदा अधिकार के बीच व्यापक बहस अभी समाप्त नहीं हुई है।

असली सवाल यह है कि भारत की कृषि व्यवस्था में किसान की स्वतंत्रता और बीज पर उसका अधिकार कितना सुरक्षित रहेगा। यदि किसान का अधिकार सुरक्षित रहता है, तो यह केवल किसान की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं होगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा, कृषि जैव-विविधता और आने वाली पीढ़ियों की कृषि स्वतंत्रता की भी रक्षा होगी। यही कारण है कि ‘पेप्सिको’ और कविता कुरुंगती का विवाद एक व्यक्तिगत या कॉरपोरेट विवाद से कहीं आगे भारत में बीज संप्रभुता और किसान अधिकारों की दिशा तय करने वाली बहस बन चुका है। (संप्रेस)

छुट्टी का स्वतंत्रता संग्राम

अब सामाजिक माध्यम ने स्वतंत्रता दिवस को और आसान बना दिया है। तिरंगे की तस्वीर लगाइए, दो देशभक्ति की पंक्तियां लिखिए और मान लीजिए कि आज का राष्ट्रपुर्न पूरा हो गया। कुछ लोग उस दिन इतने देशभक्त हो जाते हैं कि लगता है अगले दिन से देश को चलाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं की।

लेकिन स्वतंत्रता दिवस का अर्थ इससे बड़ा है।यह वह दिन है जब हमें हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी जानिको अपना सर्वस्व हमारे सुनहले भविष्य के लिए न्यौछर कर दिया। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि उनकी कुर्बानी का सबसे बड़ा परिणाम यह होगा कि आने वाली पीढ़ियां छुट्टी का कैलेंडर देखकर देशभक्ति का तापमान नापेंगी। गंगाधर कहता है—‘भाई, छुट्टी मनाओ, खूब मनाओ। स्वतंत्रता मिली है तो उसका आनंद भी लो। लेकिन इतना जरूर याद रखना कि स्वतंत्रता छुट्टी का दूसरा नाम नहीं है।’

पर कर्मचारी छुट्टी मनाकर लौटते ही कैलेंडर की ओर पुनः इस नीयत से झांकने लगता है कि अगले लाल व नीले गोले कहां पर हैं ताकि वह आगामी योजना का खाका अभी से खींचना शुरू कर दे।

राजनीति
डॉ. रमेश ठाकुर

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, भारत सरकार

किंसी पाकिस्तानी को आज के दौर में हिंदुस्तान में बसाना, उन्हें पनाह देना या फिर नागरिकता देनी वाली बात, शायद ही किसी के गले उतरे? बसाना तो दूर, ऐसा सोचना मात्र भी, सूरज का पूरब की जगह पश्चिम से निकलने जैसा माना जाएगा। पर, यह कोरी कल्पना पिछले दिनों हकीकत में तब्दील हुई। भारत में 56 साल पहले आए पाकिस्तानियों को नागरिकता दी गई है। वह भी एकाध लोगों को नहीं, बल्कि हजारों को। सरकार ने पिछले महीने बकायदा एक रंगारंग कार्यक्रम कर, ढोल-नगाड़े बजाकर विस्थापित पाकिस्तानियों को नागरिकता प्रमाण पत्र बांटे। ताज्जुब यह भी है कि ऐसा चमत्कार हुकूमत ने ऐसे माहौल में किया, जब समूचे भारत में विभिन्न देशों के घुसपैठियों को निकालकर उन्हें खदेड़ने का अभियान केंद्रीय व राज्य स्तरों पर छिड़ा हो। इस अभियान की बानगी हमने हाल में संपन्न हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा। जब दो बॉर्डर राज्य, असम और पश्चिम बंगाल, का चुनाव इसी मसले के इर्दगिर्द घूमा। घुसपैठियों के अलावा भारत में कुछ वर्षों से एनआरसी और सीएए का भी शोर है। बावजूद इसके सरकार ने पाकिस्तानियों को नागरिकता देने का बड़ा जाखिम उठाया। सरकार ने यह कदम क्यों उठाया? हालांकि, इस फैसले के सियासी मायने बहुतेरे हैं, जिसकी तस्वीर आने वाले दिनों में दिखाई भी देगी।

सरकार ने विस्थापितों को नागरिकता हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दी है। जिले का नाम है पीलीभीत जो नेपाल बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है जिसकी पहचान बांसुरी निर्माण के अलावा तराई क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। पीलीभीत को मिनी पंजाब भी कहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज, जैव-विविधता के अलावा विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व तो है ही, धान की पैदावार के लिए भी जिला पूरे प्रदेश में विख्यात है। सरकार ने जिन परिवारों को बसाने का फैसला किया है उनमें

पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता के मायने?

सरकार ने विस्थापितों को नागरिकता हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में दी है। जिले का नाम है पीलीभीत जो नेपाल बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है जिसकी पहचान बांसुरी निर्माण के अलावा तराई क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है। पीलीभीत को मिनी पंजाब भी कहते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज, जैव-विविधता के अलावा विश्व प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व तो है ही, धान की पैदावार के लिए भी जिला पूरे प्रदेश में विख्यात है। सरकार ने जिन परिवारों को बसाने का फैसला किया है उनमें बंगाली हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं। भारत के नक्शे में देखें, तो पीलीभीत हिंदुस्तान के एक अलहदे छोर पर बसा है जहां करीब पांच दशक से भी ज्यादा पहले पाकिस्तान से आए विस्थापित लोग बस गए थे। तभी, से वह विभिन्न सरकारों से नागरिकता मांगते आए हैं।

बंगाली हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं। भारत के नक्शे में देखें, तो पीलीभीत हिंदुस्तान के एक अलहदे छोर पर बसा है जहां करीब पांच दशक से भी ज्यादा पहले पाकिस्तान से आए विस्थापित लोग बस गए थे। तभी, से वह विभिन्न सरकारों से नागरिकता मांगते आए हैं। सरकारी कागजों के मुताबिक पूर्वी पाकिस्तान से वर्ष 1959 से 1971 के बीच पाकिस्तान से पीड़ित होकर कुछेक परिवार भारत आए थे। शुरूआत में यह परिवार कई राज्यों में भटकते रहे, कहीं ठिकाना नहीं मिला। आखिरकार उन्हें बाद में यही जिला मुफ़ीद लगा। पीलीभीत के अलावा कुछ नागरिकता रामपुर और बिजनौर में बसे विस्थापितों को भी दी गई है।

पीलीभीत के जिस क्षेत्र में यह परिवार रहते आए हैं वह जगह कभी विरान होती थी। इन लोगों ने इसे रहने लायक बनाया और उबड़-खाबड़ जगहों पर मेहनत करके उसे खेतीबाड़ी के लिए तैयार किया। आज इस क्षेत्र में अच्छी फसलें उगती हैं। सभी के पास कागजी दस्तावेजों के रूप में भारतीय आधार कार्ड, पैन

कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि पहले से मौजूद हैं। साथ ही लंबे वक्त से मतदान भी करते आए हैं। लेकिन नागरिकता और मालिकाना हक से वंचित थे, जिसे मौजूदा योगी सरकार ने पूरा कर दिया। ये परिवार



पीलीभीत जिले के अमरिया, न्यूरिया, शारदा डैम की तलहटी सहित आसपास के क्षेत्रों में बसे हैं। सरकार ने उन्हें खेती और आवास के लिए जमीन तो पहले से दी हुई है। लेकिन मालिकाना हैसियत नहीं दी, जिसके लिए यह लोग दशकों जद्दोजहद

कर रहे थे। प्रत्येक चुनावों में इनसे के झुठ आश्वासन हुआ। पूर्ववर्ती बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकारों ने भी इनको नागरिकता दिलवाने का दिलासा दिया। पर, कुछ

राजनैतिक अड़चनों के चलते वादा पूरा नहीं कर पाए। बीते 2022 के विधानसभा चुनाव में इनके साथ वादा किया गया था, जिसे अब पूरा किया गया। प्रदेश सरकार की पहल पर सभी पीड़ित परिवारों को सूचीबद्ध करके नागरिकता और मालिकाना के प्रमाण बांटे गए हैं। नागरिकता करीब 2500 परिवारों को दी गई हैं जिनकी कुल संख्या 15 हजार के आसपास है। ऐसा करके सरकार ने शायद विपक्षी दलों को बड़ा सियासी मुद्दा बैटै-बिटाए थमा दिया है। ये लोग वर्ष 1960 से 1975 के बीच धार्मिक प्रताड़ना के चलते पूर्वी बंगालादेश जो अब पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा है, से भारत आए थे और उत्तर प्रदेश के तराई के जिले

पीलीभीत में आकर बसे। ये क्षेत्र पीलीभीत जिले की कलीनगर व पूरनपुर तहसीलों में आते हैं जहां ये करीब 25-26 गांवों में बसे हैं। पिछले महीने 29 जून को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिले में दौरा हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने इनको ना सिर्फ नागरिकता के प्रमाण पत्र बांटे, बल्कि मालिकाना हक के सरकारी कागज भी दिए। यह फैसला चुनाव के ऐन वक्त लिया गया। प्रदेश में मात्र 6-7 महीनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसलिए सरकार के इस निर्णय पर प्रदेश की राजनीति जमकर गर्माई हुई है। विपक्षी पार्टियों ने सीधे-सीधे एक बड़े वोट बैंक को साधने का आरोप मौजूदा सरकार पर लगाया है। पाकिस्तानी विस्थापियों को बसाने का यह पहला चरण है, अभी दूसरा चरण शेष है। 35 हजार लोग और हैं जो बहराईच, बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर, बिजनौर जैसे जिलों में बसे हैं। सभी को चिह्नित किया जा चुका है, अगले कुछ महीनों बाद इन्हें भी मुकम्मल नागरिकता देने का फैसला हो चुका है। सरकारी आंकड़ों की माने तो प्रदेश के करीब सात-आठ जिलों में कुल 55 हजार विस्थापित पाकिस्तानियों की आबादी है, इनमें प्रत्येक वर्ष तेजी से इजाफा भी हो रहा है। 56 वर्ष पहले धार्मिक प्रताड़ना के रूप में मात्र 12 हजार 380 लोग आए थे। आबादी बढ़ने के पीछे इनका मकसद था कि बड़ी आबादी से सरकारों को वोटिंग का लालच देकर किसी भी दल पर दबाव बना सकेंगे। कमोबेश, हुआ भी वैसा ही। अपने योजनाओं में यह लोग आज सफल हुए हैं।

वक्त्रोक्ति
सीमा देवेन्द्र

स्वतंत्र लेखक

कह तो रहा था सावन को आने दो... और अब जाने भी वाला है। लेकिन देखो न... इधर भी खुदा है उधर भी खुदा है।

जिधर देखो उधर खुदा ही खुदा है!

इसीलिए कह रहा होगा शायद सावन को आने दो। मैं तो कुछ और ही समझी थी लेकिन सच बताऊं ये बयाने हकीकत है कि मेरे चारों ओर खुदा ही खुदा था।

सोचा था कि आज चार पहिए से उतर कर ज़रा मोक्षदायी धरा पर यूँ ही कुछ कदम चला जाय। हसरत भरी निगाहों से उन गलियों को देखना चाह़ा उन रास्तों को देखना चाह़ा जहाँ सरपट दौड़े थे कभी, लेकिन नजारा कुछ और ही था। मानों देखते ही मुझे तो धरा कम और मोक्ष ज्यादा दिखाई देने लगा...मैंने अपने आपको मोक्ष के इतना करीब पहले कभी नही महसूस किया। और अस्सर ये हुआ कि सिर चकराने लगा ...

इत्ते में दुबे भाभी घबराकर बोली जिज्जी जे का बेहोंसी क्यूँ आ रही है तुमको।

हम क्या बोलते...कवि ठहरे, बेहोंसी मेंई बात को कविता बना के टिकाई दी ।

नजारा एकदम बदला सा जैसे सावन में पतझर सा सारी गलियाँ उजड़ गईं वो राहें वो मंज़िल किधर गयीं ? और सड़कों पर बस जाम ही जाम न कोई खास न कोई आम केवल विकास का है नाम और उसके नाम पे है ये जाम !

हे राम!

सुनते ही दुबे भाभी फिर बोली - जिज्जी येई विकास हे।

लेकिन सब कुछ मेरी समझ से परे था। फिर लगा शायद यही होगा विकास का आधार। दुबे भाभी सही बोल रही है। वो भला झूठ क्यों बोलने लगी। इतने साल से जो बोलती आ रही है। खैर!

अब क्या कहा जाए इसे ..? विकास के सपने या सपनों का विकास ! पता नहीं।

जो भी हो लेकिन परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत। क्योंकि जाम और विकास जो बिल्कुल अलग अलग तासीर के हैं फिर ये घाल मेल कैसा?

थोड़ी देर में मैं बोली - भाभी क्या बगैर जाम के विकास संभव नही ?

मेरा मतलब है शहर में एक साथ काम न खोलकर, साइड बाय साइड कार्य होता रहे तो जनता को न तो खुदाई से रूबरू होना पड़ता और न ही अपनी डेस्टीनेशन की जुदाई से।

अब देखो न आज एकदम सभी जरूरी चीजें हमारी पहुँच से बाहर है। और यदि इन्हे हासिल करना हो तो पहले जाम से गुजरना होगा।

दुबे भाभी बोली जिज्जी होंस में आओ और देखो ई नजारा। इसमें तो टेम लगे है। मैं बोली सही है भाभी इसमें अभी तो बहुत समय लेगा।

विकास का तो अभी शैशवकाल समझो, गारे में लथपथ, धूल धूसरित ऊपर से बरसाती श्रृंगार....

मगर ये बात तो पक्की है भाभी लिख के रख लो...

देखना एक दिन ये ऐसा निखर के आएगा

सामने कि यही लोग इसके साथ सेल्फी लेंगे। फोटू खिंचायेंगे । एन्जॉय करेंगे।

दुबे भाभी बोली - सच्ची...।

मैं बोली हां पर ये तो सेल्फी लेने वालों के भाग्य होंगे।

नही तो आप मुझे बोलो कि मैंने दावा किया था...। और फिर ये विकास की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है क्योंकि उज्जैन की हवा भी जादुई होने के कारण एतिहासिक भी है । तीन बरस पहले ही तेज हवा में कृत्रिम ऋषि मुनि बुरा मान गए थे फिर जैसे तैसे मनाया उनको कि ये विकास भी आपका ही इसे अपने स्नेह और आशीर्वाद से नवाजे, अपने बड़े काम का है। देश का भविष्य इसी पर है इसलिए इसकी फिटनेस का खास ख्याल रखा जाए। इसे आप अपनी दुआओं में बख्शें महाराज। आधुनिक भारत इसी पर निर्भर है। इसको अभी लम्बी पारी खेलना है।

फिर बड़ी मुश्किल से ऋषि मुनी मानें और उनको ससम्मान पुनर्स्थापित किया। और मैंने सवा रूपये का प्रसाद चढ़ाया जो अलग।

लेकिन इसके लिए हम हर बार समस्त कारीगर और कलाकारों को धन्यवाद देते हैं और

मध्यप्रदेश सरकार का भी आभार मानते हैं ।

उज्जैन को पर्यटन स्थल बनाकर एवं महाकाल लोक का सौन्दर्यीकरण करके जनता को जो नई सौगात दी। उज्जैन की सीमाओं को विस्तार दिया। सिंहस्थ 2028 की तैयारी के तहत जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके लिए भी उज्जैन की धर्म प्राण जनता प्रशासन के साथ है क्योंकि जब विकास निखर कर सामने आएगा तब जवादातर तो उज्जैन वाले ही उसे निहारेंगे। अभी भले वो नखरे दिखा रहा है।

लेकिन जागरूक रहें चौकत्रे रहें। विकास की खुशी में अपना मानसिक संतुलन न खोएं।

बारीश में जल जमाव, खुरे गढ़ने सीमेंट मिट्टी की फिसलन दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं।

दुबे भाभी फिर बोल पड़ी- जिज्जी जे का उज्जैन मेंई थोड़ी न हे। मैंने तो और भी कई जगह देखो हे इसे।

हाँ भाभी ये तो उज्जैन के सन्दर्भ में ही है , और जगह का विकास अलग होगा जो वहां की भौगोलिक संरचना पर निर्भर करता है। इसलिए उसके प्रति श्रद्धा भाव भी अलग ही होगा।

क्योंकि यहाँ बरसात में विकास है और दूसरी जगह विकास की बरसात है।

आज़ादी की पहली दस्तक
सुनील कुमार गुप्ता

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

15 अगस्त की सुबह भोपाल में आज़ादी का सूरज तो उगा था, लेकिन उसकी रोशनी शहर के हर हिस्से तक नहीं पहुंची थी। दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा लहरा चुका था। देश ने अंग्रेज़ी हुकूमत से आज़ादी पा ली थी, लेकिन भोपाल की कहानी कुछ अलग थी। देश तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन भोपाल आज़ाद नहीं हुआ था। भोपाल रियासत की हुकूमत कायम थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान तत्काल भारत संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने भोपाल को अलग इकाई के रूप में बनाए रखने की इच्छा जताई थी। लिहाजा 15 अगस्त 1947 के बाद भी भोपाल रियासत भारतीय संघ का हिस्सा नहीं बनी। भोपाल का भारत में औपचारिक विलय करीब दो साल बाद, 1 जून 1949 को हुआ।

15 अगस्त 1947 को भोपाल खामोश नहीं था

लेकिन उस 15 अगस्त को भोपाल पूरी तरह खामोश भी नहीं था। पुराने शहर की गलियों में, जुमेराती की एक पुरानी डाकघर इमारत पर, कुछ लोगों ने वह कर दिखाया, जिसे उस समय सत्ता की नज़रों में चुनौती माना जा सकता था, उन्होंने तिरंगा फहरा दिया। भारत माता की जय के नारे भी लगाए। एक-दूसरे को लड्डू भी खिलाए। आज जुमेराती की भीड़भरी गलियों में शायद कोई जल्दी में गुज़र जाए और उस पुरानी इमारत पर ध्यान भी न दे। मगर इस इमारत की दीवारों ने भोपाल के इतिहास का एक ऐसा क्षण देखा है, जिसे शहर की स्वतंत्रता की गाथा में विशेष स्थान मिलना चाहिए।

लेकिन स्थानीय इतिहासकारों और उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, 15 अगस्त 1947 को जुमेराती डाकघर पर स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों, जिनमें अक्षय कुमार और रामचरण राय का नाम मिलता है, ने डाकघर के प्रभारी के साथ मिलकर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया था। नवाबी शासन की ओर से शहर में राजकीय ध्वज के अलावा किसी अन्य ध्वज को फहराने पर आपत्ति थी। तिरंगा

भोपाल में पहली सुबह, जब चुपके से लहराया तिरंगा

अधिक देर तक वहां नहीं रह सका। पता चलते ही नवाब हमीदुल्ला के सैनिकों ने उसे उतार दिया। लेकिन इतिहास में कुछ क्षण अपनी अवधि से नहीं, अपने अर्थ से बड़े हो जाते हैं। वह तिरंगा शायद कुछ ही देर के लिए उस इमारत पर रहा हो, लेकिन उसने भोपाल की जनता को एक संकेत दे दिया था कि देश आज़ाद हो चुका है और अब भोपाल की बारी है।

यही वजह है कि जुमेराती डाकघर को केवल एक पुरानी डाक इमारत की तरह देखना उसके इतिहास को छोटा कर देना होगा। वह उस समय संचार का केंद्र था और स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों से भी जुड़ा हुआ था। आज भी यह शहर की उन ऐतिहासिक जगहों में गिना जाता है, जिनके बारे में जानना भोपाल की आज़ादी की कहानी को समझने के लिए जरूरी है।

जब देश आज़ाद हुआ, लेकिन भोपाल नहीं

15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सत्ता समाप्त हुई, लेकिन देशी रियासतों के भारत में एकीकरण की प्रक्रिया अलग थी। भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खान ने 1948 में भोपाल को अलग इकाई के रूप में बनाए रखने की इच्छा व्यक्त की। इस कारण भारत की स्वतंत्रता और भोपाल के भारतीय संघ में विलय के बीच एक लंबा अंतराल पैदा हुआ। यह अंतर केवल संवैधानिक या प्रशासनिक नहीं था।

भोपाल की जनता के लिए यह सवाल धीरे-धीरे रोजमर्रा के जीवन का सवाल बनता गया कि जब भारत आज़ाद हो चुका है, तो भोपाल कब आज़ाद होगा? इसी सवाल ने आगे चलकर भोपाल विलीनीकरण आंदोलन को जन्म दिया। दिसंबर 1948 से आंदोलन तेज़ हुआ। भाई रतन कुमार गुप्ता, डॉ. शंकर दयाल शर्मा और अनेक स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भोपाल के भारत में विलय की मांग को जनआंदोलन का रूप दिया। डॉ. शंकर दयाल शर्मा, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बने, विलीनीकरण आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए नेताओं में शामिल थे।

जुमेराती की गलियों से उठी आवाज़

विलीनीकरण आंदोलन का एक महत्वपूर्ण केंद्र जुमेराती रहा। स्थानीय इतिहास-स्रोतों में रतन कुटी का उल्लेख आंदोलन की रणनीति और गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में मिलता है। आंदोलनकारियों ने प्रतिबंधों, गिरफ्तारियों और दमन के बावजूद अपनी गतिविधियां जारी रखीं। यह कहानी केवल कुछ बड़े नेताओं की नहीं थी। इसमें वे लोग भी थे जिनके नाम इतिहास की बड़ी किताबों में शायद बहुत कम दिखाई देते हैं कि स्थानीय कार्यकर्ता, व्यापारी, विद्यार्थी, महिलाएं जैसे-शातिदेवी,



रुकमणि देवी और मोहिनी देवी और सामान्य नागरिक। **आंदोलन बढ़ा तो दमन भी बढ़ा**

गिरफ्तारियां हुईं। सभाओं पर रोक लगी। लाठीचार्ज हुआ। कई स्थानों पर पुलिस की गोलीबारी में आंदोलनकारियों की जान गई। बोरास की घटना, नवाब के सैनिकों की गोलियों से हुआ नरसंहार इसी संघर्ष की सबसे मार्मिक स्मृतियों में से एक है। उपलब्ध ऐतिहासिक और समकालीन स्रोतों में बोरास के शहीदों का उल्लेख भोपाल विलीनीकरण आंदोलन के महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में मिलता है।

और इस संघर्ष में महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। उपलब्ध विवरण बताते हैं कि जब आंदोलन के अनेक पुरुष कार्यकर्ता गिरफ्तार कर लिए गए, तब महिलाओं ने

भी सड़कों पर उतरकर विरोध की कमान संभाली। इसलिए भोपाल की आज़ादी की कहानी को केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी कहना अधूरा होगा। यह साधारण नागरिकों के साहस और अपने भविष्य को तय करने के अधिकार की कहानी भी थी।

दिल्ली तक पहुंची भोपाल की आवाज़

भोपाल में बढ़ते आंदोलन ने अंततः दिल्ली का ध्यान खींचा। सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार देशी रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही थी। भोपाल के मामले में वी.पी. मेनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनवरी 1949 में मेनन को भोपाल के साथ विलय समझौते को लेकर बातचीत के लिए भेजा गया। लगातार बढ़ते जनदबाव और राजनीतिक परिस्थितियों के बीच नवाब हमीदुल्लाह खान को अंततः विलय के लिए सहमत होना पड़ा।

और फिर आया वह दिन जिसका इंतजार भोपाल लगभग दो वर्षों से कर रहा था। 1 जून 1949 । उस दिन भोपाल राज्य का प्रशासन भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया और भोपाल भारतीय संघ का हिस्सा बन गया। भोपाल जिला प्रशासन का आधिकारिक इतिहास भी 30 अप्रैल 1949 के समझौते और 1 जून 1949 को केंद्र सरकार द्वारा प्रशासन संभाले जाने की पुष्टि करता है। भोपाल के लिए यह केवल एक प्रशासनिक तारीख नहीं थी। यह उस स्वतंत्रता की पूर्णता थी, जिसकी पहली झलक उसके लोगों ने 15 अगस्त 1947 को देखी थी। अंततः जीत उस विचार की हुई कि किसी शहर, राज्य या रियासत का भविष्य केवल उसके शासक की इच्छा से नहीं, बल्कि उसके लोगों की आकांक्षा से तय होना चाहिए।

आज जब हम स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे को देखते हैं, तो शायद ही हमारे मन में यह सवाल आता है कि कभी ऐसा भी समय था जब इसी झंडे को फहराना किसी शहर में सत्ता को खुली चुनौती देना था।

आज भी मौजूद है जुमेराती का पुराना डाकघर

शहर बदल गया। भोपाल की गलियां बदल गईं। डाक के तरीके बदल गए। वह दुनिया, जिसमें चिड़ियां लोगों को दूर बैठे अपने से जोड़ती थीं, अब डिजिटल संदेशों में बदल चुकी है। लेकिन उस इमारत की स्मृति में एक ऐसा दिन दर्ज है, जब एक तिरंगे ने भोपाल की खामोशी को तोड़ा था। शायद इसलिए स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल के लिए तिरंगा केवल राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक नहीं है। वह उन लोगों की याद भी है जिन्होंने उस समय तिरंगा उठाया, जब उसे उठाना आसान नहीं था। उन लोगों की, जिन्होंने जेल देखी। उन लोगों को, जिन्होंने लाठियां, गालियां और गोलियां सही। उन महिलाओं की, जिन्होंने पुरुषों की गिरफ्तारियों के बाद आंदोलन की मशाल संभाली। और उन अनगिनत नागरिकों की, जिनके नाम शायद इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं हैं, लेकिन जिनकी आवाज़ ने भोपाल को भारत का हिस्सा बनाने में अपनी भूमिका निभाई।

एक शहर की आज़ादी को याद रखने का अर्थ

आज हम स्वतंत्र हैं। हमारे घरों पर तिरंगा सम्मान से फहरता है। स्कूलों, कार्यालयों और सड़कों पर राष्ट्रगान गुंजाता है। बच्चे तिरंगे को हाथ में लेकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन भोपाल की कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी केवल सत्ता के हस्तांतरण का नाम नहीं है। आज़ादी उस क्षण का नाम भी है, जब कोई साधारण नागरिक यह कहने का साहस करता है-मेरे भविष्य का फैसला मेरी इच्छा के बिना नहीं होगा। जुमेराती का वह डाकघर इसी साहस का साक्षी है। शायद इसलिए इस स्वतंत्रता दिवस पर जब हम भोपाल में तिरंगा देखें, तो एक पल के लिए उस पुरानी इमारत को भी याद करें। उस सुबह को याद करें, जब देश आज़ाद था लेकिन भोपाल अभी प्रतीक्षा में था। और उस तिरंगे को याद करें, जो शायद कुछ देर के लिए ही सही, मगर नवाबी भोपाल के आसमान पर यह कहने के लिए लहराया था— 'भारत आज़ाद हो चुका है। अब भोपाल भी अपनी आज़ादी की राह पर है।' यही वह छोटी-सी, लगभग भुला दी गई घटना है, जिसने भोपाल की बड़ी कहानी में एक अमिट पंक्ति लिख दी। एक तिरंगा, एक डाकघर और एक शहर, जो अंततः भारत का हो गया।

आंदोलनों की शक्ति: स्वतंत्रता संग्राम से जैन जी तक



भारत का स्वतंत्रता दिवस अन्याय के विरुद्ध लोकतांत्रिक और अहिंसक संघर्ष की निरंतर जिम्मेदारी का प्रतीक है। भारत की स्वतंत्रता में अनेक धाराओं का योगदान रहा, पर गांधी के अहिंसक आंदोलनों ने जनसामान्य की ललक को व्यापक जनआंदोलन में बदल दिया। गांधी के नेतृत्व में असहयोग, दांडी मार्च, सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन जनसहयोग से सफल रहे। भारत छोड़ो आंदोलन ने शीर्ष नेतृत्व की गिरफ्तारी के बावजूद स्वतंत्रता की निर्णायक चेतना जगाई और ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी।

भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों की जड़ें भक्ति आंदोलन में हैं, जब कबीर, नानक और रैदास ने सामाजिक रूढ़ियों व भेदभाव के विरुद्ध जनचेतना जगाई। किन्तु आजादी के पहले हुए आंदोलनों ने भी जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष को दिशा दी। 1927 के महाड सत्याग्रह में डॉ. आंबेडकर के नेतृत्व में दलितों ने चवदार तालाब से पानी पीकर सार्वजनिक जलस्रोतों पर अधिकार जताया। महात्मा गांधी की हरिजन यात्रा ने अस्पृश्यता के विरुद्ध जनमत और मंदिर प्रवेश व शिक्षा के अधिकारों के प्रति चेतना जगाई। आजादी के बाद गांधी चाहते थे कि शासन समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज सुने और रचनात्मक कार्यक्रम को प्राथमिकता दे। संविधान ने नागरिकों को न्यायिक उपचार के साथ शांतिपूर्ण सभा

और अभिव्यक्ति का अधिकार भी दिया। लेकिन व्यवस्था की सीमाओं से आकांक्षाएँ पूरी न होने पर लोगों ने आंदोलनों का रुख किया। डॉ. राम मनोहर लोहिया के ‘कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ’ और ‘अंग्रेजी हटाओ’ जैसे आंदोलनों ने आजाद भारत में राजनीतिक आंदोलनों को नई धार दी।

राजनीतिक आंदोलनों को पहली बड़ी सफलता छत्रों की भागीदारी से मिली। 1973-74 के गुजरात नव निर्माण आंदोलन ने भ्रष्टाचार और महँगाई के विरोध में चिमनभाई पटेल सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर किया। इससे उत्साहित बिहार के छात्रों ने 1974 में जयप्रकाश नारायण से राज्य के कुशासन और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। बाद में यही आंदोलन इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध व्यापक जनआंदोलन में बदल गया। जेपी ने पटना के गांधी मैदान से ‘संपूर्ण क्रांति’ का आह्वान किया। आंदोलन के दबाव में आपातकाल लगा, विपक्षी नेता जेल गए और प्रेस पर पाबंदियाँ लगीं—यह भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय माना गया। 1977 में पहली बार कांग्रेस केंद्र की सत्ता से बाहर हुई और लोकतंत्र की पुर्नस्थापना व लोकतांत्रिक सत्ता परिवर्तन हेतु इस आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व रहा। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा आदि के नेतृत्व में उत्तराखंड का चित्तको आंदोलन (1973) जंगलों व पर्यावरण संरक्षण की व्यापक जन चेतना का माध्यम बना।

नर्मदा बचाओ आंदोलन (1985) मेधा पाटकर के नेतृत्व में सरदार सरोवर बाँध से प्रभावित किसानों, आदिवासियों और विस्थापितों के अधिकारों की रक्षा के लिए शुरू हुआ। आंदोलन ने बड़े बाँधों के सामाजिक-

पर्यावरणीय प्रभावों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ी। बाँध निर्माण रोकने में असफल रहने पर भी आंदोलन ने सरकारों को विस्थापितों के मुआवजे व पुनर्वास के लिए दबाव में लाया और यह सवाल उठाया कि विकास की कीमत कौन चुकाए तथा प्रभावितों के अधिकार कैसे सुरक्षित हों। वी पी सिंह सरकार द्वारा मंडल आयोग (1990) लागू करने के विरोध में छात्रों का व्यापक आंदोलन हुआ, जिसमें राजीव गोस्वामी सहित कुछ युवाओं ने



आत्मदाह का प्रयास किया। मंडल के साथ उभरी ‘कमंडल’ की राजनीति ने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को भी गहरा किया। महिला आंदोलनों ने देहेज जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाने के साथ समान अधिकारों की मांग की। मुस्लिम महिलाओं के आंदोलनों ने गुजारा भत्ता, तीन तलाक और नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों को राष्ट्रीय विमर्श में प्रमुखता दी। श्रमिक आंदोलनों ने न्यायपूर्ण वेतन व श्रमिक अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक के शुरुआती वर्षों में हुए निर्भया आंदोलन ने सरकार को यौन अपराधों के विरुद्ध कड़े कानून बनाने के लिए विवश किया तो अन्ना हजारे के नेतृत्व में चले भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने भ्रष्टाचार और लोकपाल के मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के उभार से लेकर केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार को मिली राजनीतिक चुनौती तक, भारतीय राजनीति में आंदोलनों के प्रभाव का एक नया दौर दिखाई दिया।

आज देश में फिर आंदोलन का माहौल बन रहा है। 2020-21 में तीन कृषि कानूनों के विरुद्ध चला लंबा किसान आंदोलन सरकार को कानून वापस लेने पर विवश कर गया और आंदोलनों की प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण उदाहरण बना। इसके बाद ‘काक्रोच जनता पार्टी’ के बैनर तले नई पीढ़ी परीक्षा व्यवस्था की अनियमितताओं और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर एकत्रित हुई। गांधीवादी सोनम वांगचुक ने आंदोलन के समर्थन में 26 दिन की भूख हड़ताल की। अंततः 25 जुलाई 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मद प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और सरकार ने आंदोलनकारियों की अन्य मांगों भी स्वीकार कर लीं।

जेन जी के आंदोलनों की विशेषता सोशल मीडिया, डिजिटल नेटवर्क और त्वरित जनसंचार का प्रभावी इस्तेमाल है। विकेंद्रीकृत नेतृत्व ने युवाओं को तेजी से जोड़ा, जो पारंपरिक दलों की केंद्रीकृत राजनीति से

भिन्न है, और भविष्य में दलों की कार्यप्रणाली, चुनावी रणनीतियों व सामाजिक-आर्थिक विमर्श को प्रभावित कर सकता है। जेन जी का प्रभाव केवल युवाओं तक सीमित नहीं दिखता; प्रौढ़ मतदाताओं, विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करने की उसकी क्षमता सत्तारूढ़ दलों के लिए भविष्य की बड़ी राजनीतिक चिंता बन सकती है। पूर्ववर्ती आंदोलनों की तरह यह छत्र आंदोलन भी कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण और गांधीवादी सत्याग्रह की तरह अहिंसक रहा तथा व्यवस्था की कमियों को सुधारने के लिए आगे आया। वर्तमान निराशाजनक राजनीतिक माहौल में जेन जी के इन निडर युवाओं ने बदलाव की चम्पीद जगाई है। इस आंदोलन ने आलोचकों और प्रदर्शनकारियों को ‘भारत-विरोधी ताकतों से पोषित’ बताने वाली सत्ता पक्ष की पुरानी बयानबाजी की धार भी कुछ कुंद की है।

इस आंदोलन को लेकर कुछ सवाल और अशंकाएँ भी हैं—क्या लड़कियों के लिए भी अभद्र भाषा उतनी ही स्वीकार्य हो सकती है जितनी लड़कों के लिए? क्या सरकार को छात्रों से पहले संवाद नहीं करना चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल—क्या जेन जी स्थापित राजनीतिक दलों को पीछे धकेलकर सत्ता तक पहुँच पाएगी? वर्तमान के घाघ राजनीतिज्ञ सोशल मीडिया पर उससे मुकाबला कैसे करेंगे और उसकी अनुभवहीनता भविष्य में शासन के लिए चुनौती बनेगी? भारत की स्वतंत्रता का अहिंसक संघर्ष अनेक देशों के लिए उपनिवेशवाद से मुक्ति का उदाहरण बना, और गांधी की अहिंसा व सत्याग्रह आज भी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा है। लोकतंत्र में आंदोलनों का होना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि नागरिक चेतना और शासन को जवाबदेह बनाए रखने की जीवंत शक्ति है। आंदोलनों की परंपरा बताती है कि स्वराज और लोकतंत्र चुनावों से नहीं, बल्कि नागरिकों की सतत भागीदारी और प्रतिरोध से जीवित रहते हैं।

नवीन बस स्टैंड पर स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया

सोहागपुर। नवीन बस स्टैंड परिसर में स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जनपद पंचायत अध्यक्ष ने तिरंगा झंडा फहराया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने समारोह की अध्यक्षता की। इस अवसर अनुविभागीय अधिकारी डॉ बबिता राठौर, तहसीलदार शक्तिसिंह तोमर, एसडीओ पुलिस संजु चौहान,



नगर निरीक्षक गिरीश त्रिपाठी सहित कई विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। इसी अवसर पर विभिन्न शालाओं के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की उत्कृष्ट प्रस्तुति दी। जिसमें राष्ट्रीयता से ओतप्रोत देशभक्ति की प्रस्तुति पर उपस्थित जनता-जनार्दन ने तालियों की गड़गड़ाहट से छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। अतिथियों ने सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया।इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल, वरिष्ठ पार्षद धर्मदास बैलवंशी सहित, जनप्रतिनिधि,भाजपा एवं कांग्रेस पदाधिकारी उपस्थित थे। गांधी चौक पर कांग्रेस पार्षद श्रीमती हेमलता मोहन कहार ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर हर तबके की मातृशक्ति,युवा वर्ग एवं कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्राान के उपरांत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के संदेश का वाचन किया गया। झंडा वंदन के बाद कांग्रेस जनों भाजपा सरकार पर कटाक्ष करने के लिए मृंग खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर पिछले 10 दिनों से अपनी उपज तुलवाने के लिए केंद्रों पर खड़े परेशान किसानों को कांग्रेसज्ञान ने उनका मुंह मीठा कराया । उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान झंडा फहराकर देश के प्रति

अपनी निष्ठा का इजहार करते हैं। लेकिन इस बार भिन्न परिस्थितियों के चलते किसान भारी संख्या में गांव के बजाय तुलाई केंद्रों पर ही मौजूद हैं। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। उक्त आश्रय की जानकारी नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल ने इस प्रतिनिधि को दी।

सनफलावर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में किन्नर रागिनी ने तिरंगा फहराया



सोहागपुर। देश के 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सनफलावर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में किन्नर रागिनी के मुख्य आतिथ्य में झंडा वंदन किया गया। इस अवसर पर किन्नर रागिनी के साथ किन्नर सीता, किन्नर स्वीटी, किन्नर नेहा, किन्नर आलिया आदि उपस्थित थे। इस अवसर सन फ्लावर स्कूल के संचालक एवं परिवार के सदस्य भी विशेष रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते किन्नर रागिनी ने कहा राष्ट्रीय पर्व के पावन दिन हम लोगों को बुलाकर शाला परिवार ने सभी का मान बढ़ाने के साथ समाज में स्थान दिखाकर उन्हें भारत का नागरिक होने का गर्व का अनुभव कराया है । आपने शाला के समस्त छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करके आशीर्वाद प्रदान किया।

जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक किसान केन्द्रों से कर सकते हैं उठाव

ई-टोकन व्यवस्था बंद, अब पुरानी पद्धति से मिलेगा खाद



एस. द्विवेदी, बैतूल। किसानों को खाद वितरण के लिए लागू की गई ई-टोकन (ई-विकास) व्यवस्था फिलहाल बंद कर दी गई है। अब जिले में करीब दो लाख किसानों को हार्डब्रिड (मैनुअल ऑनलाइन) व्यवस्था के तहत खाद का वितरण किया जाएगा। नई व्यवस्था में रजिस्टर में किसानों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कृषि रकबे की जानकारी दर्ज कर पुरानी पद्धति से खाद उपलब्ध कराया जाएगा। जिन किसानों ने पहले ही ऑनलाइन पंजीवन कर ई-टोकन प्राप्त कर लिया है, उन्हें भी उनके निर्धारित वितरण केंद्र से खाद मिलेगी। सरकार के निर्देश के बाद कृषि विभाग ने बदली व्यवस्था लागू कर दी है। जिले के शासकीय विक्रय केंद्रों पर खाद स्टॉक की जानकारी अपडेट करने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को किसानों का डेटा संशोधित करने के निर्देश दिए गए हैं।

किसानों को रकबे के हिसाब से मिलेगी खाद- हार्डब्रिड व्यवस्था में किसान को आधार कार्ड और भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर रकबे के हिसाब से खाद मिलेगी। इसमें यूरिया और डीएपी अथवा एनपीके शामिल होंगे। अधिक रकबा होने पर किसान को दोबारा आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ऋा पुस्तिका की प्रती जमा कर प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कृषि विभाग के उप संचालक रामगोपाल रजक ने बताया कि ई-विकास पोर्टल को फिलहाल बंद कर हार्डब्रिड व्यवस्था से खाद वितरण के निर्देश मिले हैं। किसानों को रकबे के अनुसार आधार और मोबाइल नंबर दर्ज कर नकद

खाद दी जाएगी। किसानों का डेटा अपडेट किया जा रहा है।

ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए दर्ज होगी जानकारी- खाद वितरण और स्टॉक की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए कृषि विभाग ने मैनुअल वितरण करने वाले किसानों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कृषि रकबे का विवरण निर्धारित फॉर्मेट में दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। बाद में यही जानकारी पीओएस मशीन के माध्यम से पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। दरअसल ऑनलाइन बुकिंग में सर्वर की समस्या, तकनीकी कठिनाइयों और किसानों को हो रही असुविधा के कारण इसे फिलहाल रोकना गया है। बताया जाता है कि इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा और सुधार के लिए सुझावों के बाद ही भविष्य में कोई नई या सुधरी हुई प्रणाली लाई जाएगी। फिलहाल किसानों को केंद्रों पर जाकर पुराने तरीके से सीधे खाद प्राप्त करने की अनुमति दी गई है।

इनका कहना है -

ई-टोकन व्यवस्था फिलहाल बंद कर दी गई है। किसानों का आधार नंबर, मोबाइल नंबर और कृषि रकबे की जानकारी दर्ज कर पुरानी पद्धति से खाद उपलब्ध किया जा रहा है। जिले में खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। किसान केन्द्रों से खाद ले सकते हैं।

- रामगोपाल रजक, उप संचालक, कृषि विभाग बैतूल

सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें : कलेक्टर

● 50 दिन से अधिक लंबित शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए निर्देश ● बीएसएनएल नेटवर्क व्यवस्था सुचारु रखने के कलेक्टर ने दिए निर्देश

बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में विभागवार सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए श्रम विभाग, जल संसाधन, जनजातीय कार्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों को लंबित शिकायतों के संतुष्टिपूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों का संतुष्टिपूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो और संबंधित अधिकारी शिकायतकर्ता से समन्वय कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें। बैठक में कलेक्टर ने एसडीएम स्तर पर लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने मुलताई, प्रभात पट्टन, बैतूल ग्रामीण एवं भैंसदेही के तहसीलदारों को लंबित शिकायतों के निराकरण में प्रगति लाने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने सभी अधिकारियों को 50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निराकृत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ.



सोनवणे ने जिले के बीजादेही, सावलमंडा, लादी, आमला, चिचोली एवं गवासेन क्षेत्रों में बीएसएनएल नेटवर्क एवं इंटरनेट व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित बीएसएनएल अधिकारी से नेटवर्क की स्थिति एवं टॉवर्स के संचालन की जानकारी ली। कलेक्टर ने सभी बीएसएनएल टॉवर्स को सुचारु रूप से संचालित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में नेटवर्क व्यवस्था बेहतर रहे, यह सुनिश्चित किया

जाए। कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ एवं संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र में फील्ड विजिट कर नेटवर्क व्यवस्था का मौके पर अवलोकन करने तथा समस्या पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

लंबित पेंशन प्रकरणों का करें निराकरण- कलेक्टर डॉ. सोनवणे ने लंबित पेंशन प्रकरणों की भी जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश

दिए। वहीं मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शिविर में प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, अनुसूचित जनजाति कार्य विभाग को प्रगति लाने के निर्देश दिए। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सीएम हेल्पलाइन और मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शिविर में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर डीईओ और डीपीसी को स्पष्टीकरण पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

फार्मर रजिस्ट्री में प्रगति लाने के लिए सख्त निर्देश- जिला पंचायत की समीक्षा के दौरान उन्होंने सभी जनपद सीईओ से पूर्ण, अपूर्ण आवासों की जानकारी ली और एक सप्ताह में आवास योजना में प्रगति लाने के निर्देश दिए। राजस्व की समीक्षा के दौरान विवादित, अविवादित नामतर्पण, बंटवारा के लंबित प्रकरणों में सातवर तहसीलदार, दुनावा, बोरेदेही, चिचोली, आमला तहसीलदार और नायाब तहसीलदार को प्रगति लाने के निर्देश दिए। फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान मुलताई, बैतूल, आमला, आठनेर, भैंसदेही, प्रभातपट्टन में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित तहसीलदार, नायाब तहसीलदार को प्रगति लाने के सख्त निर्देश दिए।

जिले में उत्साह और उमंग के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस

शान से लहराया तिरंगा, गूंजा राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान

आकर्षक मार्च पास्ट, रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सम्मान समारोह ने बढ़ाई समारोह की गरिमा

राजगढ़ , निप्र। जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोहपूर्वक आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन के साथ हुई। इसके पश्चात पुलिस परेड ग्राउण्ड में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मधुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग श्री नारायण सिंह पंवार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया एवं सलामी गार्ड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। ध्वजारोहण के पश्चात हर्ष एवं उल्लास के प्रतीक स्वरूप आकाश में रंग-बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। समारोह में मुख्यमंत्री का संबोधन एलईडी स्क्रीन के माध्यम से सीधा प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश के सभी



नागरिकों को संदेश दिया। साथ ही राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पंवार ने मुख्यमंत्री के प्रदेश की जनता के नाम जारी संदेश का भी वाचन किया। इस अवसर पर सांसद श्री रोडमल नागर, विधायक राजगढ़ श्री अमर सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री ज्ञान

सिंह गुर्जर, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं स्कूली छात्र-छात्राएं उपस्थित थे। मुख्य समारोह में सशस्त्र बल प्लाटून द्वारा हर्ष फायर किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पंवार ने खुली जीप में परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी भी उनके साथ थे।

इस समारोह में विशेष सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, जिला नगर सेना, जिला पुलिस



बल (महिला), स्काउट दल उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रेडक्रास दल सीएम राइज स्कूल, स्काउट दल माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन एवं शौर्य दल (महिला सशक्तिकरण) महिला एवं बाल विकास राजगढ़ की टुकड़ियों द्वारा आकर्षक परेड प्रस्तुत की गई। मुख्य अतिथि ने इस दौरान परेड कमांडर्स का परिचय भी प्राप्त किया। परेड की मुख्य कमांडर रक्षित निरीक्षक सुश्री अश्विनी बंडोड रहीं। तत्पश्चात मुख्य अतिथि राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पंवार द्वारा स्वतंत्रता

संग्राम सेनानी एवं लोकतंत्र सेनानियों का शाल-श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर श्री अशोक शर्मा, ब्रजमोहन आचार्य एवं श्री राधा वल्लभ विजयवर्गीय, नरसिंहगढ़ को सम्मानित कर उनके योगदान के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता व्यक्त की गई। कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों के छात्र-छात्राओं द्वारा रंग-बिरंगी गुणवेश में आकर्षक सामूहिक पीटी का भी प्रदर्शन किया गया, जिसे उपस्थित जनसमूह ने तालियां बजाकर सराहा। इसके उपरान्त स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा देशभक्ति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गीत-संगीत एवं देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने समारोह में उत्साह और उमंग का वातावरण बना दिया। छात्र-छात्राओं



की मनमोहक प्रस्तुतियों को उपस्थित दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा। इसी क्रम में जिले के विकास, उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बदलते दौर का मध्यप्रदेश डूब राजगढ़ जिले की विकास गाथा पुस्तिका का वितरण किया गया। इस पुस्तिका में राजगढ़ जिले में हुए विकास कार्यों, विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त उपलब्धियों तथा शासन की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी को संकलित किया गया है। पुस्तिका की प्रतियां जिले के सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारीगण एवं आमजन को उपलब्ध कराई गईं, ताकि जिले की विकास यात्रा और बदलते राजगढ़ की तस्वीर से प्रत्येक वर्ग परिचित हो सके। कार्यक्रम के अंत में राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पंवार, सांसद श्री रोडमल नागर, विधायक राजगढ़ श्री अमर सिंह यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह गुर्जर, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।

संक्षिप्त

समाचार

दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन दाल मिल स्थापना के लिए आवेदन 30 अगस्त तक

राजगढ़ , निप्र। दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन के अंतर्गत जिले में प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग यूनिट सहित दाल मिल स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), क्लस्टर लेवल फेडरेशन (सीएलएफ), प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस), किसी भी अधिनियम के तहत पंजीकृत अन्य उपक्रम एवं व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के पोर्टल <http://chc.mpdage.org/> के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त, 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन के साथ निर्धारित धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के रूप में जमा करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला राजगढ़ के नाम से बनाया जाएगा। आवेदन करते समय डिमांड ड्राफ्ट की फोटो कॉपी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। सामान्य वर्ग के एफपीओ, सीएलएफ, पीएसीएस, अन्य उपक्रम एवं व्यक्ति के लिए धरोहर राशि 1 लाख रुपये, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला आवेदकों के लिए 50 हजार रुपये निर्धारित है। प्राप्त आवेदनों का चयन कंप्यूटरीकृत लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। कंप्यूटरीकृत लॉटरी 1 सितंबर 2026 को दोपहर 12 बजे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल द्वारा की जाएगी। लॉटरी का परिणाम 1 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे से पोर्टल पर देखा जा सकेगा। चयनित आवेदकों के अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट जमा करने की अवधि 4 से 5 सितंबर 2026 तक रहेगी तथा समय प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक निर्धारित रहेगा। उप संचालक कृषि के अनुसार भवन, गोदाम एवं भंडारण संरचना के निर्माण पर मिलने वाली सब्सिडी का अधिकतम हिस्सा कुल पात्र सब्सिडी राशि का 30 प्रतिशत होगा। यह सीमा परियोजना लागत के 33 प्रतिशत या 25 लाख रुपये, जो भी कम हो, के आधार पर निर्धारित कुल पात्र सब्सिडी राशि के अधिकतम 30 प्रतिशत तक मान्य होगी। एफपीओ, सीएलएफ, पीएसीएस एवं अन्य उपक्रमों के लिए पात्रता के संबंध में बताया गया है कि संबंधित उपक्रम कम से कम दो वर्ष पूर्व से पंजीकृत एवं क्रियाशील होना चाहिए।

कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने किया कलेक्टर कार्यालय में ध्वजारोहण

देशभक्ति, संवेदनशीलता और आत्मीयता का दिया संदेश



राजगढ़ , निप्र। 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री प्रताप सिंह चौहान सहित समस्त अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित रहे। समारोह के दौरान कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि देश के प्रति अपने कर्तव्यों और



जिम्मेदारियों को याद करने का दिन है। हमें अपने कर्तव्यों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लेना चाहिए। शासकीय सेवा में रहते हुए हमारा सबसे महत्वपूर्ण दायित्व आमजन की सेवा करना है। प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी को संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए और उनके निराकरण के लिए पूरी गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने कहा कि शासकीय

सेवा में हमें प्रतिदिन समाज और अपने सहकर्मियों से कुछ न कुछ सीखने का अवसर मिलता है। अनुभवों और अच्छे विचारों को अपने कार्य में अपनाकर हम अपनी कार्यक्षमता को और बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रहित में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने का आह्वान किया। अंत में उन्होंने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।

उर्वरक विक्रय आगामी आदेश तक बंद

राजगढ़ , निप्र। किसानों को सुगमतापूर्वक उर्वरक उपलब्ध कराने तथा उर्वरक वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार के आईएफएमएस पोर्टल एवं प्रदेश के उर्वरक विक्रेताओं के वास्तविक स्टॉक का रिकन्सिलिएशन (मिलान) किया जाना है। इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए 14 अगस्त, 2026 की शाम 7 बजे से प्रदेश में उर्वरक विक्रय आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। विक्रय बंद की अवधि के दौरान समस्त विपणन संघ के विक्रय केन्द्रों, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों, एमपी एगो के विक्रय केन्द्रों एवं निजी उर्वरक विक्रय केन्द्रों द्वारा किसी भी प्रकार के अनुदानित उर्वरकों का विक्रय नहीं किया जाएगा। किसानों को उर्वरक वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा शासन के निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों एवं उर्वरक विक्रय केन्द्रों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों से अपील है कि वे उर्वरक विक्रय पुनः प्रारंभ होने संबंधी शासन के आगामी निर्देशों की प्रतीक्षा करें तथा अधिकृत विक्रय केन्द्रों से ही उर्वरक का क्रय करें।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत आयोजित विशेष भोजन में शामिल हुए राज्यमंत्री

राजगढ़ , निप्र। प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मधुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग श्री नारायण सिंह पंवार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के सांदीपनि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (मध्यान्ह भोजन) योजना अंतर्गत आयोजित विशेष भोजन में शामिल हुए। इस दौरान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री पंवार सहित सांसद श्री रोडमल नागर, विधायक श्री अमर सिंह यादव, जिला भाजपा अध्यक्ष श्री ज्ञान सिंह गुर्जर, कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ. इच्छित गढ़पाले, पुलिस अधीक्षक श्री अमित तोलानी सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों ने विद्यार्थियों के साथ बैठकर भोजन किया।



छात्रावास एवं प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण

नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों के आवास, भोजन, स्वच्छता, सुरक्षा, अध्ययन व्यवस्था एवं उपलब्ध सुविधाओं का अवलोकन किया गया। विद्यार्थियों से उनकी दिनचर्या एवं छात्रावास में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में संवाद कर आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई। इसी प्रकार डाइट राजगढ़ में प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी लेते हुए शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता, उपलब्ध संसाधनों तथा प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी एवं व्यावहारिक बनाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। संचालक द्वारा कहा गया कि मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का मूल उद्देश्य शासन की व्यवस्थाओं एवं योजनाओं को आमजन एवं विद्यार्थियों तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है। इसलिए शिक्षा विभाग की प्रत्येक गतिविधि का केन्द्र विद्यार्थी, उसकी शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं समग्र विकास होना चाहिए। उन्होंने मैदानी अधिकारियों एवं संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए तथा विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण विकसित किया जाए।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत

राज्य शिक्षा केन्द्र संचालक का राजगढ़ जिले का भ्रमण

राजगढ़ , निप्र। मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान के अंतर्गत राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक द्वारा राजगढ़ जिले का भ्रमण कर विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं, छात्रावास, मध्यान्ह भोजन व्यवस्था तथा विद्यार्थी हित से जुड़ी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का मैदानी स्तर पर निरीक्षण एवं समीक्षा की गई। भ्रमण के दौरान सांदीपनी विद्यालय नरसिंहगढ़, प्राथमिक विद्यालय बांडी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास तथा डाइट राजगढ़ का निरीक्षण किया गया। संचालक ने संस्थाओं में उपलब्ध शैक्षणिक एवं भौतिक संसाधनों, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण-अधिगम व्यवस्था, छात्रावास की व्यवस्थाओं तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के दौरान संचालक ने विद्यार्थियों के साथ बैठकर मध्यान्ह भोजन किया। इस



अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों के साथ सहज एवं आत्मीय संवाद करते हुए भोजन की गुणवत्ता, स्वाद, मात्रा, स्वच्छता तथा भोजन वितरण की व्यवस्था के संबंध में विद्यार्थियों से सीधे जानकारी ली।

विद्यार्थियों से यह भी जाना गया कि उन्हें नियमित रूप से निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा नहीं

तथा भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्था से वे संतुष्ट हैं या नहीं। संचालक महोदय द्वारा भोजन की स्वच्छता, रसोई परिसर, खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण, भोजन तैयार करने की प्रक्रिया तथा विद्यार्थियों को भोजन परोसने की व्यवस्था का भी अवलोकन किया गया।

विद्यार्थियों के साथ भोजन करने का उद्देश्य केवल मध्यान्ह भोजन व्यवस्था का निरीक्षण

करना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद स्थापित कर उनकी आवश्यकताओं, समस्याओं और अनुभवों को समझना भी रहा। इस दौरान विद्यार्थियों ने भी सहज वातावरण में अपनी बात रखी। संचालक महोदय ने विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन ग्रहण करने, नियमित विद्यालय आने तथा मन लगाकर अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। मध्यान्ह भोजन व्यवस्था की समीक्षा के दौरान संबंधित अधिकारियों एवं संस्था प्रमुखों को निर्देशित किया गया कि विद्यार्थियों को निर्धारित मापदंड एवं मेन्यू के अनुसार गुणवत्तापूर्ण, स्वच्छ, पौष्टिक एवं गरम भोजन उपलब्ध कराया जाए तथा भोजन की गुणवत्ता एवं स्वच्छता में किसी भी प्रकार की कमी न रहे।

योजनाओं एवं शैक्षणिक प्रगति की समीक्षा : भ्रमण के दौरान जिले में संचालित

विभिन्न विद्यार्थी-केन्द्रित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। इसमें विशेष रूप से पाठ्यपुस्तक वितरण, अपार आईडी निर्माण, साइकिल वितरण, विद्यार्थी नामांकन एवं ड्रॉपआउट की स्थिति की समीक्षा की गई। संचालक द्वारा निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र विद्यार्थी को शासन की योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से प्राप्त हो। पाठ्यपुस्तकों का वितरण पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने, शेष विद्यार्थियों की अपार आईडी तैयार कराने तथा पात्र विद्यार्थियों को साइकिल वितरण की कार्यवाही समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। नामांकन एवं ड्रॉपआउट की समीक्षा के दौरान विद्यालयवार स्थिति पर ध्यान देते हुए ऐसे विद्यार्थियों को चिन्हित करने पर जोर दिया गया जो किसी कारण से विद्यालय आना छोड़ चुके हैं।

राइट क्लिक



अजय बोकिल

लेखक सुबह सवरे के
कार्यकारी प्रधान संपादक हैं।

संपर्क-
9893699939
ajaybokil@gmail.com

‘दिमागी नक्सल’ नरेटिव बदलने की नई सियासी फिरकी तो नहीं?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त पर लाल किले से अपने 13वें भाषण में नए शब्द ‘दिमागी नक्सल’ का जिक्र कर देश में एक नई राजनीतिक और बौद्धिक बहस को हवा दे दी है। सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री ने यह जुमला किसके लिए और क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि ‘अर्बन नक्सल’ तो पहले से चलन में था। तो क्या? ‘दिमागी नक्सल’ उसके आगे की और कोई अदृश्य चीज है? या फिर यह विपक्ष और जेन जी के हावी होते मुद्दों से ध्यान हटाने की नई राजनीतिक फिरकी है? ‘दिमागी नक्सल’ कहकर प्रधानमंत्री किस पर निशाना साध रहे थे और किन तत्वों से देश को आगाह कर रहे थे? इसके लेकर अलग-अलग राय सामने आ रही है। लोग अपने नरेटिव के हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में खासतौर से कहा कि ‘दिमागी नक्सल’ वो लोग हैं, जो कहीं न कहीं समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हैं। जो शायद विकसित भारत के निर्माण को नहीं देख सकते। ‘दिमागी नक्सली’ विचारधारा वाले लोग समाज को गलत रास्ते पर ले जाने का मौका तलाश रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से ऐसे लोगों को ‘पहचानने’ और ‘अलग थलग’ करने की अपील की। हालांकि प्रधानमंत्री ने ‘दिमागी नक्सल’ के रूप में किसी व्यक्ति अथवा संगठन विशेष का नाम नहीं लिया। फिर भी मानो दाढ़ी में छिपा तिनका खुद ही बोल उठा कि मैं यहां हूं। अब सवाल यह कि अगर पीएम सीधे किसी पर वार नहीं कर रहे थे तो उनके इस जुमले का असल राजनीतिक मकसद क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाल में जेन जी और उसके पहले चले सरकार विरोधी आंदोलनों और सोशल मीडिया पर लगातार चल रहे एंटी मोदी नरेटिव से ध्यान हटाने के लिए ‘दिमागी नक्सल’ का नया शोशा उछाला गया है? अगर ऐसा है तो यह कारगर होता दिख रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब दूसरे बुनियादी सवालों से हटकर ‘दिमागी नक्सल’ पर ही लामबंद होते दिख रहे हैं। इस बीच सीजेपी की तर्ज पर

दिमागी नक्सल जनता पार्टी नामक व्यंग्यात्मक वचुंअल पार्टी भी सोशल मीडिया पर बन गई है, जिससे करीब 2 लाख लोग जुड़ गए हैं। जाहिर है यह बहस अभी और चलेगी, जब तक कि यह तय न हो जाए कि इस तीर का असली लक्ष्य कौन है और वो कहाँ तक निशाने पर लगा है। बहुतां का मानना है कि प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के भाषण की सुर्खी ‘दिमागी नक्सल’ ही थी। प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद और माओवाद के खिलाफ अपनी सरकार की निर्णायक कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा था कि हमने ‘हथियारी नक्सलियों’ को तो खत्म कर दिया कि लेकिन उनके वैचारिक पोषक और समर्थक ‘दिमागी नक्सली’ व्यवस्था में घुसपैठ कर नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने यह बात देश के गुहमंत्री अमित शाह के उस दावे के संदर्भ में कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में हिंसक नक्सलवाद अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। नक्सल शब्द की पश्चिम बंगाल में आज से करीब साठ साल पहले नक्सलबाड़ी गांव में जमींदारों के शोषण और अत्याचार तथा पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ वामपंथियों के एक वर्ग द्वारा संगठित किसानों मजदूरो के हिंसक विद्रोह के साथ शुरू हुई थी। यह बगावत इस विचार से प्रेरित थी कि देश में राजनीतिक-सामाजिक क्रांति बंदूक की नली से आ सकती है। यह पूंजीवादी शोषक व्यवस्था के खिलाफ खुला और हिंसक विद्रोह था। हालांकि न तो व्यवस्था बदली और न ही शोषण खत्म हुआ। अलबत्ता लंबे समय तक रक्तपात जरूर चलता रहा। यही नहीं, जिन देशों में इस तरह की सफल क्रांति हुई, उनमें से अधिकांश इस सिद्धांत से किनारा कर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पूंजीवाद की गोद में बैठ चुके हैं। यहां सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर दिमागी नक्सल कहा किसें? क्या यह केवल देश में हिंसक क्रांति के समर्थक दिमागों के बाकी बचे अवशेषों के लिए कहा गया

अथवा इसके दायरे में वो सभी लोग हैं, जो मोदी, भाजपा और संघ से अहसमत हैं, या फिर वो तमाम लोग और खासकर जेन जी भी है, जो किसी खास राजनीतिक विचारधारा के समर्थक न होकर केवल अपने हकों की मांग कर रही है? और सियासी पार्टियां उन्हें पीछे से समर्थन दे रही हैं। कुछ विरोधियों का यह भी कहना है कि संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पारित करने में नाकाम रही सरकार अब ‘दिमागी नक्सल’ का नया शगूफा लेकर आई है। अगर असहमति और न्याय मांगना ही ‘दिमागी नक्सल’ होना है तो फिर झारखंड या विहार में न्याय मांगने वाले छात्र क्या हैं? उसी तरह अगर बंदूक के जरिए ही सामाजिक-राजनीतिक न्याय की प्राप्ति संभव होती तो इस देश में क्रांति कब की आ जाती? लेकिन यह देश मूलतः गांधी के रास्ते पर चलने और उसे ही संघर्ष का स्वाभाविक और बहुमान्य स्वरूप मानने वाला देश है। हालांकि इसके लेकर भी असमतियां रही हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। इसी सत्ता परिवर्तन भी वोट के जरिए हो, यह सर्व स्वीकार्य है। जहां तक ‘दिमागी नक्सल’ की व्याख्या की बात है तो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु मिश्रा ने कहा कि दिमागी नक्सल ‘गांधीयनस विद गन्स’ है। यानी बंदूकधारी गांधीवादी। यह अपने आप में ही विरोधाभासी है। गांधी के साथ लाठी तो हो सकती है, गन कैसे हो सकती है। सुधांशु शाहद यह कहना चाहते हैं कि दिमागी नक्सल ‘प्रच्छन्न गांधीवादी’ हैं। जो बात तो गांधी की करते हैं, लेकिन हिंसा के जरिए देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं। सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। किसी भी मुद्दे और आंदोलन का इसका माध्य म बनाने की कोशिश की जाती है। मोदी सरकार की नीतियों और कानूनों आदि की गलत अथवा अर्द्धसत्यात्मक व्याख्या की जाती है। ‘दिमागी नक्सल’ से खुद को जोड़ने वाली पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस नेता और देश के पूर्व गुहमंत्री रहे पी. चिदम्बरम् की तरफ से आई। उन्होंने कहा कि मुझे अपने ‘दिमागी नक्सल’ होने पर गर्व है।

इस पर एक प्रतिक्रिया यह भी आई कि ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का पहली बार प्रयोग तो चिदम्बरम ने ही 2010 में किया था, जैसे कि ‘हिंदू आतंकवाद।’ यानी मोदी ने तो उसे आज के संदर्भ में दोहराया भर है। इसी तरह आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं भी दिमागी नक्सली हूं, क्योंकि मैं देशभक्त हूं। वैसे ज्यादातर विपक्षी नेताओं का मानना है कि बात भले ही दिमागी नक्सली की हो, असल में इसकी आड़ में हर सरकार विरोधी स्वर को दबाने की चाल है। माकपा महासचिव एम. ए. बेबी ने कहा कि उनकी पार्टी नक्सलवाद का विरोध करती है, लेकिन सरकार द्वारा माओवादियों से निपटने में कानून और संविधान का उल्लंघन करने के भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ‘नक्सलवाद एक राजनीतिक दृष्टिकोण और विचारधारा है, जिससे हम सभी पूरी तरह अहसमत हैं। बेबी के मुताबिक यह कहना कि उनके दिमाग में माओवादी विचार हैं, एक सुविधानजनक और बेहद आपत्तिजनक आरोप है।’ इसमें दो राय नहीं कि व्यवस्था से नाराज और परेशान हर व्यक्ति ‘दिमागी नक्सल’ तो नहीं हो सकता। फिर नक्सल होने के लिए भी ‘दिमाग’ की दसकार तो है। भले ही खुराफाती क्यों न हो। वरना यह शब्द ही नहीं बनता। इसके पहले प्रचलित ‘अर्बन नक्सल’ में ऐसी कोई प्री-कंडीशन नहीं थी। विपक्ष को आशंका है कि ‘दिमागी नक्सल’ की आड़ में सरकार हर उस शस्त्र को दबोच सकती है, जो सवाल करे, सरकार की नीतियों और मंशा पर उंगली उठाए। व्यवहार में ऐसा होगा या नहीं, होगा तो किस हद तक होगा, इस बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। थोड़े बहुत ‘दिमागी नक्सल’ समूचे देश के मानस को नहीं बदल सकते। बहरहाल देश में मोदी के भाषण के बाद नया दिमागी नरेटिव वॉर शुरू हो चुका है, जिसमें हर कोई अपनी सुविधा और पूर्वाग्रह के साथ तलवार भांज रहा है। इसका अंजाम देखने के लिए हमें रूकना होगा।



सावन माह के तीसरे सोमवार को भवानी चौक कपर्चु वाली माता माता मेसि से बाबा बटेधर की यात्रा नगर भ्रमण के लिए शुरू हुई, यात्रा बाबा बटेधर महादेव कीर्तन मंडल द्वारा निकाली गई।



: फोटो प्रवीण वाजपेई

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मप्र के 8 बड़े चेहरे

लाल सिंह आर्य उपाध्यक्ष, गजेंद्र पटेल महामंत्री, कविता पाटीदार मंत्री, वीडी शर्मा-बंसीलाल गुर्जर को भी जिम्मेदारी

भोपाल (नप्र)। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में मध्य प्रदेश का दबदबा बढ़ा है। पार्टी की जारी सूची में मप्र के 8 नेताओं को अहम राष्ट्रीय जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें लाल सिंह आर्य, गजेंद्र पटेल, कविता पाटीदार, विष्णु दत्त शर्मा, बंसीलाल गुर्जर, तरुण चुघ, सौदान सिंह और आशीष उषा अग्रवाल शामिल हैं। इनमें 4 बीजेपी सांसद हैं। मप्र से लाल सिंह आर्य, कविता पाटीदार, विष्णु दत्त शर्मा और सौदान सिंह को लेकर पहले ही जानकारी दी थी कि इन्हें भाजपा की राष्ट्रीय टीम में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। सोमवार को जारी राष्ट्रीय टीम की सूची में इन नामों पर मुहर लग गई। नई सूची में लाल सिंह आर्य को भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं खजुराहो से सांसद गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार को राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया है। सौदान सिंह को राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री बनाया गया है, जबकि मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद तरुण चुघ को राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा को प्रकोष्ठ संकुल का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। वहीं राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर को किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुर्जर इससे पहले मध्य प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश भाजपा से जुड़े आशीष उषा अग्रवाल



को राष्ट्रीय मीडिया सह-संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। लाल सिंह आर्य- राष्ट्रीय उपाध्यक्ष- लाल सिंह आर्य भाजपा के वरिष्ठ दलित नेताओं में शामिल हैं। वे मध्य प्रदेश की गोहद विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं।

शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। गजेंद्र पटेल- राष्ट्रीय महामंत्री- 51 वर्षीय गजेंद्र सिंह पटेल खरगोन लोकसभा सीट से लगातार दूसरी बार सांसद हैं। 2017 में उन्हें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद वे प्रदेश भाजपा में उपाध्यक्ष रहे। कविता पाटीदार- राष्ट्रीय मंत्री- 52 वर्षीय कविता पाटीदार मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं। वे इंदौर जिला पंचायत की अध्यक्ष और भाजपा की प्रदेश महामंत्री रह चुकी हैं। विष्णुदत्त शर्मा - प्रकोष्ठ संकुल राष्ट्रीय संयोजक- खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा भाजपा के प्रमुख संगठनात्मक नेताओं में शामिल हैं। वे फरवरी 2020 से जुलाई 2025 तक मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2019 में पहली बार खजुराहो से लोकसभा सांसद बने और 2024 में दोबारा निर्वाचित हुए। अब उन्हें प्रकोष्ठ संकुल का राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है। सौदान सिंह- राष्ट्रीय सह-संगठन महामंत्री- विदिशा जिले के कागपुर के रहने वाले सौदान सिंह का भाजपा की नई टीम में कद बढ़ा है। वे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अब उन्हें राष्ट्रीय सह-महसंविध (संगठन) बनाया गया है और उनका मुख्यालय चंडीगढ़ रहेगा।

महाविद्यालय आवंटित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश सुनिश्चित करने का अंतिम अवसर

18 अगस्त को सायं 5 बजे तक शुल्क जमा कर प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे विद्यार्थी

भोपाल (नप्र)। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इन्द्र सिंह परमार के निर्देश पर, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में ई-प्रवेश प्रक्रिया अंतर्गत अतिरिक्त सीएलसी चरण में अंतिम तिथि 14 अगस्त तक महाविद्यालय आवंटित होने के उपरांत भी प्रवेश शुल्क जमा नहीं कर सके विद्यार्थियों को प्रवेश सुनिश्चित करने का अंतिम अवसर दिया गया है। ऐसे विद्यार्थी 18 अगस्त को सायं 5 बजे तक निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा कर आवंटित महाविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के हित में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि महाविद्यालय आवंटित होने के बाद निर्धारित अवधि में शुल्क जमा नहीं कर पाने के कारण कोई पात्र विद्यार्थी उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित न रहे। 14 अगस्त तक महाविद्यालय आवंटित हो चुके विद्यार्थियों को निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। विभाग द्वारा

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रवेश प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। संबंधित विद्यार्थी अपने आवंटित महाविद्यालय में संपर्क कर निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करते हुए प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। 18 अगस्त शाम 5 बजे के बाद अवसर नहीं- विभाग ने स्पष्ट किया है कि 18 अगस्त को सायं 5 बजे के बाद प्रवेश शुल्क जमा करने का अवसर उपलब्ध नहीं होगा, इसलिए महाविद्यालय आवंटित ऐसे शुल्क जमा कर आवंटित महाविद्यालय में अपना प्रवेश सुनिश्चित कर सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के हित में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि महाविद्यालय आवंटित होने के बाद निर्धारित अवधि में शुल्क जमा नहीं कर पाने के कारण कोई पात्र विद्यार्थी उच्च शिक्षा में प्रवेश से वंचित न रहे। 14 अगस्त तक महाविद्यालय आवंटित हो चुके विद्यार्थियों को निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए प्रवेश शुल्क जमा करना होगा। विभाग द्वारा

किसानों की मेहनत का सम्मान बनाये रखने ढाल है कवच योजना

‘कवच’ बनी मध्यप्रदेश सरकार, फिर खुला संस्थागत ऋण का रास्ता, 4 अगस्त को मिली कवच योजना को मंजूरी

भोपाल (नप्र)। अखंडता किसान हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इसलिए किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए खेत से बाजार तक कृषि मूल्य संवर्धन श्रृंखला को सुदृढ़ करने, सिंचाई क्षमता बढ़ाने, आधुनिक एवं उन्नत कृषि तकनीक सहित प्राकृतिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन और संस्थागत वित्त की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में निरंतर काम हो रहा है। किसानों के हित में ‘कवच योजना’ राज्य सरकार की एक बड़ी पहल है। किसान की मेहनत का सम्मान हो, उनकी खेती-किसानी मजबूत हो और उसे आर्थिक सुरक्षा का भरोसा भी मिले, ‘कवच योजना’ इसी संकल्प को धरातल पर उतारने वाला कदम है। इस योजना का उद्देश्य प्रभावित किसानों को रहत देने के साथ उन्हें फिर से सहकारी बैंकों प्रणाली एवं ऋण व्यवस्था की मुख्यधारा में लाना है, ताकि वे अपनी कृषि गतिविधियों को निर्बाध रूप से आगे बढ़ा सकें और सरकार की योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसान कल्याण वर्ष (2026) में लिया गया यह महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेश के उन हजारों किसानों के लिए नई उम्मीद की तरह है, जिनके लिए लंबित जांच के कारण नये ऋण प्राप्ति का रास्ता बाधित हो गया था। अतः ‘कवच योजना’ उनके लिए आर्थिक गतिविधियों को पुनः गति देने और संस्थागत वित्त व्यवस्था से फिर से जुड़ने का



निर्णय लेते हुए सहकारिता विभाग की ‘कवच योजना’ को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाना, उनका सम्मान एवं आर्थिक सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में है।

आशीष अग्रवाल भाजपा के राष्ट्रीय सह मीडिया संयोजक बने



युवाओं में लोकप्रिय आशीष पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी रहे हैं।

माध्यम भी बनेगी।

योजना को कब मिली मंजूरी- मुख्यमंत्री डॉ. यादव को अध्यक्षता में 4 अगस्त 2026 को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद में किसान हित में महत्वपूर्ण

भोपाल । मप्र भाजपा के मीडिया प्रभारी आशीष उषा अग्रवाल को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय सह मीडिया संयोजक नियुक्त किया है। इस नियुक्ति पर आशीष अग्रवाल ने भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन का हृदय से आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह, मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के प्रति भी आभार व्यक्त किया है। यहां जारी बयान में अग्रवाल ने कहा कि पार्टी नेतृत्व द्वारा सौंपे गए इस महत्वपूर्ण दायित्व का मैं पूर्ण निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ निर्वहन करूंगा। उल्लेखनीय है कि आशीष अग्रवाल को अप्रैल 2023 से प्रदेश मीडिया प्रभारी का दायित्व कुशलता से संभाल रहे हैं।

किन्हें मिलेगा लाभ- कवच योजना से सहकारी समितियों से जुड़े ऐसे लगभग 5 हजार किसान लाभान्वित होंगे, जिनके ऋण खातों में हुई गड़बड़ियों की जांच लंबित रहने के कारण वे शासकीय योजनाओं और नई ऋण सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। सरकार किसान कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह सुनिश्चित कर रही है कि किसी प्रक्रिया अथवा जांच के लंबित रहने का प्रतिकूल प्रभाव किसान की खेती और आजीविका पर अनिश्चितकाल तक न पड़े। इसी भावना के अनुरूप ‘कवच योजना’ के जरिए प्रभावित किसानों को पुनः मुख्यधारा में लाकर उन्हें संस्थागत ऋण व्यवस्था से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।

लिखित आश्वासन मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी

इस दौरान मनोज रजक ने बताया कि सरकार से मांग की कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल ठोस निर्णय लिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे केवल मौखिक आश्वासन नहीं चाहते, बल्कि मांगों पर लिखित आश्वासन मिलने के बाद ही आंदोलन समाप्त करने पर विचार करेंगे। छात्रों का कहना है कि नर्सिंग की पढ़ाई पूरी करने के बावजूद वे परीक्षा, डिग्री और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। इससे आगे की पढ़ाई, नौकरी और करियर पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मामले में जल्द निर्णय लेकर हजारों विद्यार्थियों का भविष्य बचाने की मांग की।

छात्रों की प्रमुख मांगें

- नर्सिंग मामले की जल्द से जल्द स्पेशल बेंच के माध्यम से सुनवाई करकर नर्सिंग छात्रों के हित में निर्णय लिया जाए।
- बीएस नर्सिंग और जीएनएच के सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों की परीक्षाएं बिना विलंब एक साथ कराई जाएं। इसमें स्टूडल अनस्टूबल और वॉलंटियर क्षेत्र के 56 कॉलेजों के विद्यार्थी भी शामिल हैं।
- बैच 2020-21 के विद्यार्थियों को दिसंबर 2026 तक डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराया जाए।
- छात्रों की छात्रवृत्ति से जुड़ी समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाए।
- नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और उससे जुड़ी अनियमितताओं की जिम्मेदारी तय कर विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए।